राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 11| चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस |संख्या: 2

गुरुवार,

06 सितम्बर 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, पहले इधर नमस्कार। इरादे तो नेक हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, टेढ़े आदमी को पहले नमस्कार करना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तभी हमने आपको किया है।

श्री अध्यक्ष: अशोक डोगरा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

कुरेल नदी (बूंदी) पर पुल का निर्माण

1. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम हनुत्या से ग्राम पंचायत जेथल के बीच कुरेल नदी पर पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

+++

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): ग्राम हनोतिया से ग्राम पंचायत जेथल के बीच कुरेल नदी पर पुल निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

+++

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न काल चलने देना चाहते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) +++

श्री अध्यक्ष: चाहते हैं तो फिर बैठिये, अपने-अपने स्थान पर बैठिये। अध्यक्ष की व्यवस्था पर इस प्रांगण में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। अभी 15 मिनट तक जो भी हुआ है, वह सब एक्सपंज कर दिया जाए, जो भी ये बोले हैं। अध्यक्ष की जो व्यवस्था है, उसकी इस प्रांगण में कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। यह स्थापित नियम है। आप यह बिलकुल नहीं कर सकते। आप चलने देना चाहते हैं कि नहीं? सीधा बोलिये। मैं प्रश्न काल चलाना चाहता हूं। मैं प्रश्न काल चलाना चाहता हूं। आपने गलत आब्जेक्शन लिया है। अध्यक्षीय व्यवस्था पर यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती। मंत्री जी, उत्तर दीजिये।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्ष: पहले सीटों पर बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्ष: हां, हां, मैंने लिया है। मैंने निर्णय लिया है। मेरे निर्णय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। मेरे चैम्बर में आइये।

+++

श्री अध्यक्ष: मेरे निर्णय पर इस प्रांगण में चर्चा नहीं हो सकती। आप अपनी सीट पर जाइये। अब आप अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान)

+++

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के हुड़दंग की वजह से सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। ये प्रश्न काल नहीं चलने देना चाहते, मुझे इस बात का अफसोस है, और 15-20 मिनट तक जो भी कार्यवाही हुई, वह एक्सपंज की जाती है। 12.00 बजे तक स्थगित।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.15 बजे 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, विराजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, विराजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके 125 सड़कें बनायीं, अपने इस कार्यकाल में। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ठेकेदार से कितने पैसे लिये आपने?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां? डीडवाना में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा निकाली जा रही गौरव यात्रा में अपने पार्टी हित साधने के लिये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनवाने के संबंध में।

(3) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से गंगनहर, करणीजी माइनर, सूरतगढ़ ब्रांच की टेल पर निर्धारित मात्रा में सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से कुचामन (नागौर) के रश्मि गौड़ हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से आमजन में बढ़ते रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से झुंझुनूं शहर की अत्यन्त दयनीय एवं खस्ताहाल सड़कों के कारण आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 243 में निर्दोष व्यक्तियों को राजनीतिक द्वेषतावश फंसाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से दिनांक 07 जुलाई, 2018 को हुई प्रधान मंत्री जन संवाद रैली में सरकारी धन का दुरुपयोग होने

से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं श्री नन्दकिशोर महरिया को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची में हुई अनियमितताओं के संबंध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राजसमन्द जिले के निरजना गांव में बेशकीमती मार्बल खान के आबंटन में हुई अनियमितताओं के संबंध में।

(4) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य करवाने के संबंध में।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से जहाजपुर उपखंड मुख्यालय पर स्वीकृत कालेज को चालू कराने तथा उपखंड मुख्यालय कोटड़ी में कालेज खोले जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत बानसूर को नगरपालिका बनाने के संबंध में।

(7) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्रामों में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत पी.एस.पी. पाइंट उचित स्थान पर नहीं बनाने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से रॉ-मैटीरियल (खनिज सम्पदा) के राजस्थान से बाहर जाने से रोक लगाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री सुरेश धाकड़- भैंसरोडगढ़ के पेयजल का कार्यादेश व भैंसरोड़गढ़ एस.एच. 9ए की दुर्दशा के संबंध में।

(2) डा. फूलचन्द भिण्डा- प्रागपुरा-पावटा को नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में।

(3) श्री विवेक धाकड़- सैण्ड स्टोन के संबंध में राज्य सरकार की नीति के विपरीत QL व ML की खातेदारी में की जा रही अनियमितताओं के बाबत।

(4) श्री हमीर सिंह भायल- मारवाड़ की लूणी नदी में पाली के औद्योगिक इकाई से आने वाले रासायनिक पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल था। स्थगन प्रस्ताव हमने लगाया था, हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि जो गौरव यात्रा निकाली जा रही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत आ चुका यह, बहुत आ चुका। मैंने केवल हनुमान बेनीवाल को परमिशन दी है। बाकी किसी का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने केवल हनुमान बेनीवाल को परमिशन दी है। बाकी किसी का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): 000

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): 000

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कुचामन (नागौर) का रश्मि गौड़ हत्याकाण्ड

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) क्षेत्र में भागीरथ नामक व्यक्ति की हत्या की गयी, जिसे लेकर 133/18, पी.एस. मोलासर में दर्ज हुआ। कल पीलवा थाना के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सामान बेचने की दुकान पर था, जिसका....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक स्पेशल टीम बनाकर उस हत्याकाण्ड पर ....(व्यवधान) जिन मामलों का मैंने जिक्र किया है, स्पेशल टीम बनाकर ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जिन मामलों की जांच करती है, एस.ओ.जी. में भी आपने कई भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, जो दुकान खोलकर एस.ओ.जी. के अन्दर बैठे हैं, जो भ्रष्ट घोषित हैं, उनको आपने एस.ओ.जी. के अन्दर पोस्टिंग दे दी। (व्यवधान) एस.ओ.जी. के अन्दर जांच कराते हैं, निर्णय दूसरा देता है और...(व्यवधान) दोषी अधिकारियों को सज़ा दें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनके पास फाइलें घूमती रहती हैं .. (व्यवधान) आप इसके अन्दर आदेश देवें। धन्यवाद।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह नियमों में आएं न, जवाब देने के लिये तैयार हैं, कौन मना कर रहा है। अध्यक्षीय व्यवस्था में यह थोड़े ही स्वीकार्य होगा। अध्यक्षीय व्यवस्था सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: यह हंगामा कर रहे हैं, हंगामे का क्या जवाब दूं? यह हंगामा कर रहे हैं...(व्यवधान) हंगामे का कोई जवाब होता है क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका खुलासा करें। डीडवाना, कुचामन क्षेत्र के अन्दर अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगवार बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाएं गृह मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा, उसमें रश्मि गौड़ की हत्या के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, उस विषय को इन्होंने रखा। कुचामन सिटी में मुकदमा दर्ज हुआ था 129/18, और उसके पिताजी स्वयं उसी मकान में थे। नीचे की मंजिल में वह थे, ऊपर की मंजिल में वह नौकरी करके आने के बाद वहां थी। हमेशा चार बजे वह चाय लाती थी, उस दिन वह चाय नहीं लायी। उसके घर में उसके ही परिवार के दो लोग आये थे, उनसे कहा कि देखो ऊपर, क्यों नहीं चाय आ रही है। यह बात सही है कि उसका गला दबाकर उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने उस केस को भी 302 में दर्ज किया है। अब तक हमने 100 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी भी हम किसी निर्णायक दौर पर नहीं पहुंचे हैं। हमने हमारी तरफ से कोशिश करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। मैं यह कह रहा हूं कि स्वयं एस.पी. ने नागौर से जाकर वहां कुचामन में अपना कैम्प किया। एडिशनल एस.पी. डीडवाना को लगाया है। कुचामन वाला वृत्ताधिकारी उसमें लगा हुआ है। कुचामन शहर, नावां शहर, मारोठ, इन सबके नेतृत्व में टीम बनाकर अलग-अलग काम कर रहे हैं। यह बात तो सही है अभी तक हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि यह है कि वो है। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि मेरी टीम लगी हुई है, जो भी प्रयास जिस ढंग से हो सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा और मदद की तो कुछ ही दिनों में निर्णायक स्थिति में पहुंचकर अभियुक्त को पकड़कर निश्चित रूप से कोर्ट में चालान करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई बड़े लेवल का अधिकारी लगाकर जांच करायें।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा है कि उसकी जांच कराएंगे। शून्य काल समाप्त किया जाता है।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.17 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे इसको खतम कर लेने दो, then I'll give you a chance. Let Adhisuchanas come on the record.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वित्त विभाग की 47, आबकारी विभाग की 03 एवं आयोजना विभाग की 02 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-204 दिनांक 20.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-205 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-206 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-207 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा ई-वे बिल संबंधी नियमों को दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-210 दिनांक 28.3.2018 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-III-202 दिनांक 7.3.2018 के संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-05 दिनांक 18.4.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-175 दिनांक 30.1.2018 को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों आदि द्वारा जारी लीज डीड या सेल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-176 दिनांक 30.1.2018 को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों आदि द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के बाद जारी लीज डीड या सेल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(9) अधिसूचना संख्या: प.2(30)वित्त/कर/2015-11 दिनांक 26.4.2018 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 (दिनांक 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018) के दौरान तहसीलदार व नायब तहसीलदार को उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.12(19)वित्त/कर/2018-16 दिनांक 30.4.2018 जिसके द्वारा आई.टी. क्षेत्र, पर्यटन एवं मनोरंजन के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-17 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों को जीएसटीआर-3-बी फार्म के विलम्ब शुल्क से परिहार किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-18 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2017 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कतिपय अपीलीय प्राधिकारियों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-19 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कतिपय प्राधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारिता के लिये अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-22 दिनांक 28.5.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/2007-25 दिनांक 30.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आरएसआरटीसी के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 30.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आरएसआरटीसी के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लीज डीड पर पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.2(29)वित्त/कर/2018-50 दिनांक 11.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान फसल ऋण माफी योजना-2018 के अन्तर्गत किसानों से शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र पर वसूल की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-51 दिनांक 13.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-52 दिनांक 13.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-67(8) के अन्तर्गत जब्त करने के बाद शीघ्र खराब होने वाली अथवा हानिकारक वस्तुओं के संबंध में उचित निस्तारण की कार्यवाही की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-53 दिनांक 19.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2018-54 दिनांक 22.6.2018 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा विदेशी मदिरा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, देशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री पर देय कर पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2018-55 दिनांक 22.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.2(28)वित्त/कर/2018-56 दिनांक 25.6.2018 जिसके द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा ईग्रास के माध्यम से उचित स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के संबंध में पाबन्द किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-61 दिनांक 29.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-पार्ट-62 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 में संशोधन किया गया है;

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-पार्ट-63 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 में संशोधन किया गया है;

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-64 दिनांक 6.7.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2016-66 दिनांक 16.7.2018 जिसके द्वारा मैसर्स बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, बीकानेर को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

10 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत शुल्क में सशर्त 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.5(3)वित्त/कर/2018-68 दिनांक 19.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-201 दिनांक 6.3.2018 को अतिष्ठित करते हुए पारिवारिक सदस्यों के बीच निष्पादित भागीदारी के विघटन तथा भागीदारों के निवृत्त होने से संबंधित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को घटाया गया है;

(30) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-69 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(31) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-70 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(32) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-71 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(33) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-72 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-52 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(34) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-73 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(35) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-74 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(36) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-75 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(37) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-76 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-44 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(38) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-77 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर देय कर का परिहार किया गया है;

(39) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-78 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(40) अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-79 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(41) अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-80 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा हुडको द्वारा रूडसिकों के पक्ष में निष्पादित ऋण इकरारनामा पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है;

(42) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-84 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा ऐसे करदाता जिन्होंने फार्म जीएसटी-आरईजी-26 जमा नहीं कराया है परन्तु केवल प्रोविजनल आईडेंटीफिकेशन नम्बर प्राप्त किया है, ऐसे करदाताओं के लिये जीएसटीआईएन हेतु आवेदन करने संबंधी प्रावधान किया गया है;

(43) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-85 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(44) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-87 दिनांक 10.8.2018 जिसके द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यवहारी जिनका चालू

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.5 करोड़ है, के लिये फार्म जीएसटीआर-1 त्रैमासिक प्रस्तुत करने के लिये नीयत तिथि का निर्धारण किया गया है;

(45) अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-90 दिनांक 27.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-21 दिनांक 28 जून, 2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(46) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-92 दिनांक 4.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है; एवं

(47) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-93 दिनांक 4.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को श्रेणी अनुसार चुकाये गये विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

आबकारी विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2016-पार्ट-I दिनांक 3.4.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्राण्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 24.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

आयोजना विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)21/भामाशाह/डीईएस/2016, दिनांक 20 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) नियम, 2018 विरचित किये गये हैं; एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)21/भामाशाह/डीईएस/पार्ट-II/2017, दिनांक 27 जून, 2018, जिसके द्वारा भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कार्मिक विभाग की निम्नांकित 02 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

कार्मिक विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.7(1)डीओपी/ए-II/2017, दिनांक 21.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-4 के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्गों के लिये राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का एक प्रतिशत किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.7(1)कार्मिक/क-2/17, दिनांक 29.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-8 के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्गों के लिये रोस्टर बिन्दु एवं आरक्षण की गणना संबंधी कठिनाई का निराकरण किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित 04 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

पंचायती राज विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पीआर/2014/926, दिनांक 10 जुलाई, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पीआर/2014/927, दिनांक 10 जुलाई, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पीआर/2018/833, दिनांक 25 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-क के अन्तर्गत प्राधिकारियों को प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पीआर/2018/834, दिनांक 25 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-ख के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ:6(96)/परि/कर/मु/उर्स/5255 दिनांक 13 मार्च, 2018 जिसके द्वारा दिनांक 14.3.2018 से 2.4.2018 तक की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये रुपये 6000/- से अधिक के करों का परिहार किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित विधि विभाग की 02 एवं ऊर्जा विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं :-

विधि विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.7(170)/रालसा/संयुक्त सचिव/संस्था- वि संशोधन/2018/61, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसके द्वारा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एस.ओ.14 दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम 120 दिनांक 09 अगस्त, 2017 जिसके द्वारा राविविआ (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामले) विनियम, 2004 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

महिला एवं बाल विकास विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.14(1)(40)निमअ/सामू.वि./2015-16/89287, दिनांक 11 जून, 2018 जिसके द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2018 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 66वां प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

(I) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

(II) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्ट ऑन सिलिकोसिस

(III) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-20 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्ट ऑन सिलिकोसिस।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री महोदय ने जो लोकायुक्त महोदय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट नहीं है। यह 2015-16 का है। अगर 2015-16 का पेश कर रहे हैं तो सरकार उसके साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट तो पेश करे। उसके बिना तो वह अधूरा है। उसके बिना सदन में पेश करने का मतलब नहीं रहता उसका।

श्री उपाध्यक्ष: Do you want to react?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, अगर इस प्रकार का एक्शन-टेकन हुआ है तो प्रस्तुत कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पूछने की बात है। इतने बड़े विद्वान हैं संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसको इस तरीके से समाहित कर लेते हैं कि there was an action from the other end, there was a reaction from the other end and the action has already been taken.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके एक्शन पर टेकन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंहजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 48वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2016-17)

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 33वां प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

खादी बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3)(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभू लालजी सैनी।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 45वां प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-394(2) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप कुछ फर्माना चाह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं। इस प्रकार की कोई भी अभिव्यक्ति अंकित नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: इस पर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी राय स्पष्ट कर दी। I will not allow any other issues, I am going directly to next.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी विषय आज के एजेंडा के अलावा, आज के विधायी कार्य के अलावा अगर आपको लाना है तो आप नियम से आ जाइए। आसन आपको परमिशन देगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने प्रक्रिया के नियम 50 के तहत अपना स्थगन दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी। उन्होंने इनको बोलने की अनुमति नहीं दी। अध्यक्षीय व्यवस्था को अब चुनौती देकर आप सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 42)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 42वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं:-

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, 05 सितम्बर, 2018 को मध्याहन पश्चात् 12.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 व शुक्रवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार लिया जाए:-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018

(1) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018
(2) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
(3) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
(4) अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधयेक, 2018
(5) श्याम विश्वविद्यालय लालसोट, दौसा विधेयक, 2018
(6) लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018
(7) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018
(8) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं
(9) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018- पर विचार एवं पारण।

शुक्रवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2018

(1) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-19 (प्रथम संकलन) पर मुख बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण
(2) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018
(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018
(4) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
(5) जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018
(6) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018
(7) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018-पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 42वें इस प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 42वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गोपाल कृष्ण जी। (व्यवधान)

प्राक्कलन समिति 'ख' (क्रम संख्या 10)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) (श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) के स्थान पर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख', 2018-19 के दशम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

याचिका समिति (क्रम संख्या 13)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं से सम्बन्धित याचिका समिति, 2018-19 के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (क्रम संख्या 7)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2018-19 के सप्तम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति

(क्रम संख्या 14)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2012-2013 में समाविष्ट नगरीय विकास (नगर विकास न्यास, कोटा) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 4.3.1 पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2018-2019 के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

जन लेखा समिति (क्रम संख्या 261 से 313)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2018-2019 के निम्नांकित 53 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 के अनुच्छेद संख्या 3.2, 3.3, 3.5 एवं 3.14 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 261वां प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 2016-17 के 167वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 262वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.9.8 वित्त, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, पर्यावरण, खनिज, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा जल संसाधन विभागों से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 263वां प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.3 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 264वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 265वां प्रतिवेदन।

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.7 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 266वां प्रतिवेदन।

(7) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.1 पर्यावरण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 267वां प्रतिवेदन।

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.11 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 268वां प्रतिवेदन।

(9) जन लेखा समिति, 2017-18 के 204वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 269वां प्रतिवेदन।

(10) जन लेखा समिति, 2016-17 के 116वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 270वां प्रतिवेदन।

(11) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 271वां प्रतिवेदन।

(12) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.6 एवं 3.7 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 272वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(13) जन लेखा समिति, 2017-18 के 217वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 273वां प्रतिवेदन।

(14) जन लेखा समिति, 2017-18 के 220वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 274वां प्रतिवेदन।

(15) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.2 प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 275वां प्रतिवेदन।

(16) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.4 गृह एवं राजस्व विभागों से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 276वां प्रतिवेदन।

(17) विनियोग लेखे वर्ष 2015-2016 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों के अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 277वां प्रतिवेदन।

(18) जन लेखा समिति, 2016-17 के 164वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 278वां प्रतिवेदन।

(19) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 1.2.4 वित्त, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 279वां प्रतिवेदन।

(20) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 1.7.5 वित्त, स्वायत्त शासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 280वां प्रतिवेदन।

(21) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018 -19 का 281वां प्रतिवेदन।

(22) जन लेखा समिति, 2015-16 के 68वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 282वां प्रतिवेदन।

(23) जन लेखा समिति, 2017-18 के 185वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 283वां प्रतिवेदन।

(24) विनियोग लेखे वर्ष 2016-2017 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 284वां प्रतिवेदन।

(25) जन लेखा समिति, 2017-18 के 191वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 285वां प्रतिवेदन।

(26) जन लेखा समिति, 2017-18 के 206वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 286वां प्रतिवेदन।

(27) जन लेखा समिति, 2016-17 के 153वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 287वां प्रतिवेदन।

(28) जन लेखा समिति, 2017-18 के 200वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान

(श्री प्रद्‍युम्न सिंह)

सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‍वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 288वां प्रतिवेदन।

(29) जन लेखा समिति, 2017-18 के 202वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‍वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 289वां प्रतिवेदन।

(30) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाॅ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.7.12 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 290वां प्रतिवेदन।

(31) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाॅ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.6 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 291वां प्रतिवेदन।

(32) जन लेखा समिति, 2016-17 के 156वें प्रतिवेदन (परिवहन विभाग) (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‍वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 292वां प्रतिवेदन।

(33) जन लेखा समिति, 2017-18 के 238वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‍वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 293वां प्रतिवेदन।

(34) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.12 एवं 3.13 तथा वर्ष 2016-2017 का अनुच्छेद संख्या 3.10 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 294वां प्रतिवेदन।

(35) जन लेखा समिति, 2017-18 के 218वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‍वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 295वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(36) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 296वां प्रतिवेदन।

(37) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 297वां प्रतिवेदन।

(38) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 298वां प्रतिवेदन।

(39) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 299वां प्रतिवेदन।

(40) जन लेखा समिति, 2007-08 के 251वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में खान एवं भू-विज्ञान से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 300वां प्रतिवेदन।

(41) जन लेखा समिति, 2007-08 के 252वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में खान एवं भू-विज्ञान से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 301वां प्रतिवेदन।

(42) जन लेखा समिति, 2011-12 के 116वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में खान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 302वां प्रतिवेदन।

(43) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट परिवहन विभाग (वाहनों, माल और यात्रियों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर कर) से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 303वां प्रतिवेदन।

(44) जन लेखा समिति, 2015-16 के 102वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में परिवहन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 304वां प्रतिवेदन।

(45) जन लेखा समिति, 2016-17 के 155वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में परिवहन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 305वां प्रतिवेदन।

(46) जन लेखा समिति, 2015-16 के 103वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 306वां प्रतिवेदन।

(47) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 307वां प्रतिवेदन।

(48) जन लेखा समिति, 2016-17 के 159वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 308वां प्रतिवेदन।

(49) जन लेखा समिति, 2016-17 के 182वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 309वां प्रतिवेदन।

(50) जन लेखा समिति, 2013-14 के 254वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 310वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(51) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 311वां प्रतिवेदन।

(52) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 312वां प्रतिवेदन।

(53) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 का 313वां प्रतिवेदन।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या 119 से 123)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2018-19 के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 119वां प्रतिवेदन ;

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2008-2009 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 120वां प्रतिवेदन ;

(3) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 121वां प्रतिवेदन ;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(4) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड एवं जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 के 110वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 122वां प्रतिवेदन ; एवं

(5) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड एवं जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 के 111वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 123वां प्रतिवेदन।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018. श्री कालीचरण सराफ।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डश: विचार

खण्ड - 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अन्दर नहीं हुई कि कालीचरण जी की गाड़ी पर चढ़ कर जोधपुर में इनकी पिटाई की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप इस विधेयक के बारे में बोलना चाहते हैं तो आपको अनुमति है अन्यथा कोई भी बात अंकित नहीं होगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं आशा करता हूं कि कम से कम सदन को आर्डर में तो लाया जाए और अगर बिना आर्डर में लाये यह प्रस्ताव पास करने का तय कर रखा है तो इनको पारित कर लिया जाए। वैसे ये डीसेंसी भी नहीं है और संसदीय परम्पराओं के अनुसार भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं, सत्ता पक्ष यह चाहता है कि सारे बिल्स पर विचार हो। माननीय सदस्य अपने-अपने विचार यहां प्रकट करें और हमारे यह पूरे विधेयक, जो हम लेकर आये हैं, इनमें कोई कमी-खामी है तो हमारी जानकारी में आए। परन्तु प्रतिपक्ष का जो आचरण है, इनको अशोभनीय आचरण है, इन्होंने आज तक विधान सभा की कार्यवाही को बाधित करने का काम किया है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आज कल ये आपके नजदीक हैं, अगर आप इनको नसीहत दे डालें। ये आपकी वो नजदीकियां, गलबहियां हैं, आप इनको नसीहत दे डालो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरे तो सबसे नजदीक आप थे और आज भी आप ही हो। मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूं यह बात।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय घनश्याम जी, आप बोलेंगे तो ये भी सुन लेंगे, आप तो आपकी बात कहना है वह कह दो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड - 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018. श्रीमती किरण माहेश्वरी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए पृथक्-पृथक् विधेयक आना चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है।

यह जो राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 लेकर आ रही हैं माननीय मंत्रीजी यह नियम और परम्पराओं के विपरीत है।

अभी हमने दो बिल पास किये हैं डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 और जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018, उन दोनों में भी वही संशोधन है जो संशोधन आप इन 46 में कर रहे हो, तो इन 46 के लिए तो आप एक बिल लेकर आये हो और उन दो के लिए आप अलग-अलग बिल लेकर आये हो। इन 46 के लिए इनको 46 बिल लेकर आने चाहिए थे। अगर यह बात थी तो इस सदन में पारित किया हुआ कोई भी बिल, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वे यूनिवर्सिटी एक ही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इन्होंने यह नियमों के विपरीत काम किया है।

मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। इसी सदन में हमने प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए एक विधेयक बनाने का प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव को राजस्थान हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उस निरस्तर करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गये हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रोका। रोकने के बाद में अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग बिल लेकर आये। और इस प्रकार से 46 यूनिवर्सिटी के बिल अब तक अपन यहां पारित कर चुके हैं और तीन के अब करने वाले हैं। अगर यह बात ठीक होती, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी के भी अलग होते तो राधाकृष्णन और रामानन्दाचार्य का एक बिल आ सकता था। इसलिए यह नियमों के विपरीत है और यह स्ट्रक डाउन होगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि इस विधियां (संशोधन) विधेयक को आप विचारार्थ नहीं लें, इसको अलाउ नहीं करें, यह पूर्णतया नियमों के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां कही है, मैं उसके जवाब में आपको सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जो आप अलग-अलग बिल्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो पूर्व में बिल्स में संशोधन हुआ है, वह 10 साल का एक्सपीरिएंस जिन प्रोफेसर्स का होगा, वही वी.सी. बन सकेंगे, वह प्रोविजन है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आया, या संस्कृत विश्वविद्यालय का आया, दोनों यूनिवर्सिटीज में, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वी.सी. जो होंगे, उनमें 10 साल प्रोफेसर्स की योग्यता है। उसका संशोधन हमने यहां पर किया है। इसके कारण से वह अलग-अलग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वही चीज हम लाना चाहते हैं, 10 ईयर एक्सपीरिएंस की। यूजीसी की जो गाइड लाइंस हैं, उनके अनुरूप स्टेट यूनिवर्सिटीज में किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सारे बिल यहां पास हुए हैं। उनमें जो संशोधन होगा, उन यूनिवर्सिटीज में जो भी उनका प्रेसीडेंट होगा, क्योंकि यहां वाइस चांसलर नहीं है, यहां पर प्रेसीडेंट है, उसको 10 ईयर का एक्सपीरिएंस एज ए प्रोफेसर होगा। इस कारण से निजी विश्वविद्यालय के लिए रखा गया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, वही संशोधन है। वही संशोधन यूजीसी की गाइड लाइन के हिसाब से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में है और वही संशोधन रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में है और वही संशोधन नाम प्रेसीडेंट है, लेकिन वही योग्यता का संशोधन यूजीसी की गाइड लाइंस के कारण से इन 46 विश्वविद्यालयों में है। अत: नियमानुसार जैसे उन दोनों का आया, उसी प्रकार से 46 बिल यहां पर आने चाहिए थे और उन सभी बिलों में अलग-अलग संशोधन होना चाहिए था। एक संशोधन से आप 46 में सैक्शन अलग-अलग होते हुए, उनमें यह संशोधन नहीं कर सकते। यह नियम विरुद्ध है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं चेयर से आग्रह करुंगा कि नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार से इसको पारित करना उचित नहीं है। इस पर आप निर्णय कर लें। चाहे कल कर लें। लेकिन इस पर लिखित में निर्णय दे दें। अगर आपको करना है, सरकार की बात को मानकर आसन करता है तो लिखित में कम से कम एक प्रोसीडिंग आ जाए, एक आदेश बन जाए, किसी भी बिल में लाओ, 50 बिल में हम एक लाइन में संशोधन लाकर कर सकते हैं। अगर विधान सभा की सारी प्रक्रिया को ही समाप्त करना है तो आप कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है और जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, यह दोनों राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। यह जो राजस्थान निजी विश्वविद्यालय हैं, यानी राजस्थान में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, उनकी विधियां संशोधन विधेयक है। उन सबके अन्दर यूजीसी के द्वारा जो क्वालीफिकेशन तय की गयी है वाइस चांसलर में, प्रेसीडेंट में, उनमें इस क्वालीफिकेशन के आधार पर नियुक्ति हो, सिर्फ इतना सा ही प्रावधान है। सही बात है कि 46 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उन सारे विश्वविद्यालयों को राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियाँ, उसी के लिए ही संशोधन लेकर आये हैं। इसीलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर यह बात ठीक थी तो उन दोनों का एक ही ले आते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह सरकारी हैं और यह गैर सरकारी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वही मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह निजी हैं। वह सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप भी विराज जाएं। अब आप भी विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी ही बात को ट्रांसलेट कर देता हूं, the apprehension of the Hon'ble Member is, are you securing a Legislative manoeuvring for a passage of a Bill which is not in contravention to a decision earlier taken by this House. If it is not so, kindly be very specific and say it is not so. That's the end of it.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, it is not so.

श्री उपाध्यक्ष: That's the end of it.

विधेयक पर विचार

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी आपत्ति रिजैक्ट कर दी। मैं यह कह रहा था कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रामानन्दाचार्य के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, Now, I am on the second stage and I can't go back.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह ठीक है। लेकिन आपने निर्णय क्या किया, यह बता दीजिए आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: The Government replied by the Hon'ble Minister, by the Hon'ble Chief Minister, state that it is not in contravention to any decision that was taken on the Floor of this House. The Chair in its own, in its modesty and honesty, it sets the version of the Government hence your query is rejected to the last.

बहिर्गमन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह पूर्णतया गलत है। मैं आपके निर्णय के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं। यह आपका गलत निर्णय है ...(व्यवधान)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 6 स्वीकार किये गये।

अनुसूची- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड- 2 से 47 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड- 2 से 47 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 47 स्वीकार किए गए।

अनुसूची 1 एवं 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 पारित किया गया।

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

व्यवस्था का प्रश्न

गुलामी के प्रतीक "लॉर्ड्स" शब्द को विधेयक के नाम में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, यह 'लॉर्ड्स' शब्द इस एक्ट में नहीं आ सकता। एक मिनट सुनें आप। 'लॉर्ड्स' शब्द इस एक्ट में नहीं आ सकता। कारण क्या है कि यह 'लॉर्ड्स' शब्द 1707 में इंगलैंड में 'हाउस आफ लॉर्ड्स' बना था, तब आया था। उसमें कहा गया था कि 'ईश्वरीय प्रतिनिधियों की सभा', उसके बाद में हमारे यहां न्यायालयों में प्रयोग होने लगा। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि यह 'लॉर्ड्स' शब्द गुलामी का प्रतीक है और हमको 'माई लॉर्ड', कहकर नहीं पुकारा जाए। इसका यह फैसला हो चुका है और आज हम यहां राजस्थान की विधान सभा में 72 साल की आजादी के बाद जब हमने नाम बदल दिये सारी दुनिया भर के, 'वेलिंग्टन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हास्पिटल' का नाम 'रामनारायण लोहिया हास्पिटल' नाम कर दिया, 'अल्फ्रेड पार्क' का 'चंद्रशेखर पार्क' नाम कर दिया। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय में 'लॉर्ड्स' शब्द लेकर आ रहे हैं, कौनसी गुलामी का प्रतीक बनाना चाहते हैं आप यहां?

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इस प्रकार के गुलामी के शब्द अगर इस राजस्थान की विधान सभा में आप पारित करके आप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सदन का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है, भारत की आजादी का अपमान है। अंग्रेजों के सारे शब्द हटा दिये, कौनसे 'लॉर्ड्स' के लिए बना रहे हैं आप? कौन 'लॉर्ड' है? यहां लॉर्ड राम है, लॉर्ड कृष्ण हैं, यहां कोई 'लॉर्ड्स' नहीं है। यह अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है और यह इसलिए आ रहा है कि +++ उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि के रूप में ये लोग लेकर आ रहे हैं आज। अगर आप करना चाहेंगे तो मैं उन बातों को यहां रखूंगा। अगर यह 'शब्द' लाये तो मैं 1857 की सारी बात यहां पर रखूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सारी बातें रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लॉर्ड्स विश्वविद्यालय है, 'लॉर्ड्स' का मतलब 'खुदा, ईश्वर', जिसने हमें यहां सृष्टि पर भेजा है, माननीय सदस्य, आपने 'लॉर्ड्स' शब्द की जो व्याख्या की है, वह गलत की है। आपने ईश्वर का अपमान किया है। आपने भगवान राम का अपमान किया है। आपने भगवान कृष्ण का अपमान किया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'लॉर्ड्स' शब्द का प्रयोग करने वाले आप सब गुलाम हो, 1857 में अंग्रेजों का समर्थन करने वालों के गुलाम हो आप तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी 'लॉर्ड्स' शब्द का अर्थ जानते हैं, 'लॉर्ड्स' ईश्वर को कहते हैं, यह हाउस आफ कामंस वाला 'लॉर्ड्स नहीं है। यह 'लॉर्ड्स' देवता है, ईश्वर है, इसलिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा माननीय सदस्य आपको। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि लॉईस विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर विधेयक, 2018 ....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अभी आप प्रस्ताव नहीं कर सकते। अभी तो उनका...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अच्छा बताएं? उत्तर दे दें?

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर दे दें...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): वैसे तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है पर।

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने संसदीय भाषा में उत्तर दिया है, अब आप आध्यात्मिक भाषा में उत्तर दे दें तो दोनों बातें उनको समझ में आ जाएंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 'लॉर्ड' वर्ड की जो व्याख्या यहां पर की कि हम लोग कोई गुलामी के उस पर रहते हुए 'लॉर्ड' वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं? हम अंग्रेजों के गुलाम तो नहीं हैं, आजाद हुए थे 1947 में लेकिन उसके बाद में (व्यवधान) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आपने क्यों हटाई? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने भी आपकी बात सुनी है, आप भी मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप उत्तर तो सुनें कम से कम।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, उत्तर सुन लीजिए आप। इंग्लिश को अपन ने यहां से, हिन्दुस्तान से खतम नहीं किया। इंग्लिश में भगवान को 'लॉर्ड' कहा जाता है, ईश्वर को 'लॉर्ड' कहा जाता है, कृष्ण को 'लॉर्ड कृष्णा' कहते हैं हम लोग, 'लॉर्ड' वर्ड को आप उस वे में मत ले जाएं, क्योंकि पोजीटिव थिंकिंग, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो भगवान को 'लॉर्ड' ही कहा जाता है अंग्रेजी में। इसलिए इसमें ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है कि 'लॉर्ड' शब्द कहां से उठाया गया। 'लॉर्ड कृष्णा' हम लोग कहते हैं, 'लॉर्ड' वह है जो भगवान के आगे अगर इंग्लिश में भगवान को कहा जाता है तो वह 'लॉर्ड' कहा जाता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगी आपको कि इनका जवाब है उसके लिए कि इन्होंने गलत वे में इंटरप्रिटेशन किया है 'लॉर्ड' वर्ड का, यह गलत इंटरप्रिटेशन 'लॉर्ड' वर्ड का नहीं होना चाहिए। सही मायने में 'लॉर्ड' भगवान है, ईश्वर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही होता तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्यों कहता कि हमको 'लॉर्ड्स' नहीं कहा जाए?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 'मी लॉर्ड'।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगर आपके पास है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपके पास है तो आप पढ़कर बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसमें हाउस आफ कामंस के 'लॉर्ड्स' की बात कही गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हाउस आफ कामंस के 'लॉर्ड्स' हैं वह अलग हैं, यह ईश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। उस ईश्वर के नाम पर जिसकी सौगंध आपने और मैंने खाकर विधान सभा की सदस्यता ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे आपकी मानसिकता का पता है। +++ उनके साथ आप लोग बैठे हैं तो आप इसी भाषा का प्रयोग करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): कैसी बातें कर रहे हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं सही कह रहा हूं, जयभान सिंह पवैया ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, अमित शाह ने कहा है +++

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इस बात को बहुत गलत तरीके से ले जाया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, अब आप विराज जाएं। (व्यवधान) आप सब विराज जाएं।

आपकी विद्वता पर यहां पर किसी को कोई शंका नहीं है, आप दो सौ के दो सौ सम्मानित सदस्य हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई संशय नहीं है। मैं यह नहीं समझा कि व्यवस्था का प्रश्न था, आप उसको व्यवस्था तक ही सीमित रखते। और व्यवस्था का प्रश्न किस पर था? व्यवस्था किसको देनी थी? आप ही ने प्रश्न किया और आप ही व्यवस्था देने लगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़: (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वैरी वैल।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने किसी भी परिवार के व्याख्यान के लिए तो आपको अनुमति नहीं दी थी।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

ऐसे कोई भी शब्द जो किसी परिवार के सम्बन्ध में कहे गये हों, मैं उनको अपलिखित करने का आदेश देता हूं और पूरे सदन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के निजी आक्षेप अगर आपने सदन में लगाने की कोशिश की तो कठोरतम कार्यवाही का आपको सामना करना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्यवाही करिये। कार्यवाही करिये। आप मेरे ऊपर कार्यवाही करिये। यह ऐतिहासिक सत्य लॉर्ड केनन ने कहा है।

व्यवस्था

'लार्ड्स' शब्द को ईश्वर का प्रतीक मानते हुए विधेयक के नाम में प्रयुक्त किया जा सकता है

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके विराज जाएं। (व्यवधान) आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आसन अपनी व्यवस्था दे रहा है। आसन आपकी क्वेरी पर व्यवस्था देता है। मंत्री महोदय, बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो पूरा स्पष्ट रूप से सुन लीजिए इस विषय को। (व्यवधान)

'लॉर्ड्स विश्वविद्यालय चिकानी, जिस विधेयक के सम्बन्ध में यह

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन चर्चा कर रहा है या आप विचारार्थ लाना चाह रहे हैं, आसन 'लॉर्ड्स' शब्द को, आसन 'लॉर्ड्स' शब्द को, divine intervention का, divine intervention के समान मानते हुए ईश्वरीय शक्ति का इसमें निवेश है, इस तक सीमित रखता है, 'सामंती लॉर्ड' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह आसन आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है।

अब आप प्रस्ताव करें।

विधेयक पर विचार

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 47 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 - स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, (अलवर) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहेंगे?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस संस्था का यह विश्वविद्यालय पारित किया जा रहा है, पिछले दिनों इस पर सीबीआई का छापा पड़ा, सीबीआई को पीटा गया, उसी संस्था की जांच पूरी होने तक इसको पारित नहीं किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए। जिस संस्था पर सीबीआई का छापा पड़ा अनियमितताओं के लिए, उसी को पारित किया जा रहा है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच पूरी होने तक इसे विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाह रहा हूं। यह निजी विश्वविद्यालय का जो एक्ट पास किया जा रहा है, निजी विश्वविद्यालयों में जिस तरह से खुले आम फर्जी डिग्रियां बांटकर लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इसी तरह के विश्वविद्यालय के जिस तरह के बिल पास किये जा रहे हैं, इस सदन के सम्मानित 200 माननीय सदस्यों, जिन बिलों को हम पास कर रहे हैं, इनमें निजी विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से लोगों को फर्जी डिग्रियां बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसा जोधपुर में हुआ और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी इसी तरीके से है।

सरकार के 2-2 माननीय मंत्रियों ने हमें इस सदन में आश्वस्त किया कि वे ओपीजेएस विश्वविद्यालय की जांच कराएंगे, उसके लिए कमेटी गठित करेंगे, लेकिन आज तक उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की गयी। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने आकर उस पर छापा डालने का काम किया।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं सरकार क्यों मौन है, मंत्री महोदय क्यों मौन हैं? मुझे इस बात का भी पता नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया भी क्यों मौन हैं? अगर निजी विश्वविद्यालयों में आप इस प्रदेश और देश के युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय करने का काम कर रहे हैं तो मैं यह मानता हूं कि पूरी सरकार इसमें मिलीभगत कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आश्वस्त करने के बाद भी जोधपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के निजी विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार इनके लिए कोई न कोई ऐसा क्या नियंत्रण करना चाहती है? इस सदन में यह बिल पास करने के बाद हम इतने दूर कैसे हो जाते हैं कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता और कोई भी क्षेत्रीय विधायक या सांसदों का उनमें कहीं इनल्वमेंट नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन बिलों के द्वारा जिन निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दे रहे हैं, जिन्हें हम पास कर रहे हैं, आप इन परनियंत्रण रखने का कुछ न कुछ प्रयास करें, नहीं तो इन निजी विश्वविद्यालयों का सिवाय बाजारीकरण के दूसरा कोई काम नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में कई बार संसदीय कार्य मंत्री महोदय हमें इशारा करके बताते हैं कि इस सदन में आकर सत्य बोलें। मैं कहता हूं कि सदन में आपने कमेटी गठित करके इन विश्वविद्यालयों की जांच की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई, इसलिए इस सदन में अगर मंत्री महोदय भी बैठकर असत्य बातें करेंगे तो फिर इस सदन का विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में जिस विश्वास के साथ आप इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने की बात कहते हैं, कमेटी गठित करने की बात कहते हैं, वह गलत है।

अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सीबीआई का छापा पडा और मारपीट हुई, आज तक आप जांच नहीं करवा रहे। किस बात के मंत्री हैं? किस बात की आपकी सरकार है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सब कुछ भ्रष्टाचार में न डुबोएं। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्री बांटकर लोगों को मनमर्जी से नंबर देते हैं। हमारे वर्तमान में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स तो काम्पीटिशन से बाहर हो रहे हैं और आप द्वारा फर्जी मार्कशीट पाने वाले लोगों को नौकरियां मिल रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश है

(श्री मनोज कुमार)

कि आप जितने भी निजी विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इन पर सबसे पहले कोई न कोई नियंत्रण बोर्ड बनाएं या इनकी जांच के लिए कोई पहले से कमेटी गठित करें। आप इनकी वार्षिक आडिट रिपोर्ट, इनकी जांच, इनके पास कितनी सीटें हैं, कितने एडमिशन इन्होंने ले रखे हैं, इस तरह से इस प्रदेश और देश के लोगों को लूट से मुक्त कराएं।

माननीय मंत्री महोदय, इस सदन में आपने एक दिन कहा था कि हमने कमेटी गठित कर दी है और जल्दी ही जांच करेंगे। आप अगर उन 9 विश्वविद्यालयों, जिनकी सूची आपने सदन में बतायी, आज इस बिल के साथ बताने का प्रयास करें कि आपने उनकी क्या जांच की और उनके खिलाफ क्या पाया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण किया जाए और राजस्थान प्रदेश के नौजवानों के साथ न्याय किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदया, आप उत्तर दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बात यहां पर कही कि पूर्व में भी सदन में जो निजी विश्वविद्यालयों पर जिस तरह से कहीं कोई आरोप लगा था तो उस पर क्या जांच हुई और उसका क्या परिणाम आया। जिस ओपीजेएस विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने कहा, उसके संदर्भ में यह बताना चाहूंगी कि यह चूरू का विश्वविद्यालय है। इसकी हमें जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में बहुत-से स्तरों पर इसकी जांच हुई और अंत में धारा 41, 41(2), इन सारी चीजों को करने के बाद अब धारा 44 के तहत उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इस नोटिस का जवाब भी हमें मिल गया है और यह परीक्षणाधीन है। यह अंतिम नोटिस होता है, इस नोटिस के बाद में वह विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर आता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कार्यवाही नहीं की।

जहां-जहां पर भी ऐसे निजी विश्वविद्यालयों की कोई अनियमितता है, उसकी हमने पूरे तरीके से जांच करवायी। एक नहीं, तीन अलग-अलग कमेटियों से उसकी जांच करवायी और उसके बाद जो हमें नियमानुसार नोटिस देने होते

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं, उन नोटिसों की सारी प्रक्रिया हुई है और अंतिम नोटिस जो धारा 44 का है, वह उसे दे दिया है। उसका जवाब भी मिल गया है। अब इस ओपीजेएस पर कार्यवाही होगी।

मैं सदन पटल पर इस जांच रिपोर्ट को आपके समक्ष रख दूंगी, जिसमें हमारी सारी ही यूनिवर्सिटीज जिन पर आरोप लगा था, उनकी बात आ जाएगी। जहां तक माननीय भिण्डा जी ने लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात कही, जो भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन शिकायतों पर गहन जांच करवायी गयी और उसके बाद में सारी शिकायतें असत्य पायी गयीं। जिन लोगों ने शिकायतें कीं, उन लोगों द्वारा सिर्फ कागजों में शिकायतें हुईं। उसके बाद में जब उन्हें बुलाया गया कि वे आएं और अपनी शिकायतें बताएं तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरीके की शिकायत सही नहीं पायी गयी और इसीलिए सदन में इस लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी का प्रपोजल पूरी जांच करवाने के पश्चात ही हम लेकर आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 47 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया?

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 पारित किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन पटल पर यह रखना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्यों, मंत्रियों और इनके सम्बन्ध में यह विधेयक अपन पारित कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने दो विधेयक पारित किये थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि आजन्म किसी को भी सुविधाएं देना, एक व्यक्ति विशेष और एक व्यक्ति के बीच में फर्क करना, इस प्रकार का कानून हम नहीं बना सकते। पिछली बार हमने कानून बनाया जिस कानून में 7-खख में हमने निवर्तमान मुख्य मंत्रियों को आजन्म मकान रखने, आजन्म उनको कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधाएं देने का प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश में सारे बंगले खाली हो गये। मध्य प्रदेश में कर दिया, मध्य प्रदेश में खाली हो गये। राजस्थान के हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि दो बंगले मुख्य मंत्री लेकर बैठी हैं, एक बंगला खाली किया जाए, पर अभी तक वह बंगला खाली नहीं किया गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो कानून हमने पहले बनाया था, वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार असंवैधानिक है, उस कानून को समाप्त किया जाए और मुख्य मंत्री को यह सदन निर्देश दे कि 8 नम्बर के बंगले में जाकर रहें तथा 13 नम्बर का बंगला खाली करें। किसी भी प्रकार से सरकार की सम्पत्ति पर डाका डालने का अधिकार यह सदन किसी मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक को नहीं देता है। कोई भी आदमी राज्य सरकार की सम्पत्ति पर आजन्म कब्जा करके नहीं रह सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो कानून हमने पहले बनाया था उसी परिप्रेक्ष्य में यह कानून है। इसलिए उस कानून के अन्तर्गत सरकार एक कानून लेकर आये और मुख्य मंत्री 13 नम्बर के बंगले को खाली करें। आज प्रश्न का जवाब नहीं देने दिया। मेरे पास प्रश्न का जवाब है। सरकार ने जवाब दिया है जिसमें पिछले साल 4 करोड़ रुपये केवल 13 नम्बर के बंगले पर खर्च हुए। यह सामंतशाही में जी रहे हैं या लोकशाही में जी रहे हैं? इस सारी लोकशाही की व्यवस्था को सामंतशाही की व्यवस्था में बदलने का कानून इस सदन में पास करना किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री का 13 नम्बर का बंगला खाली कराया जाए और जो दूसरे भूतपूर्व मुख्य मंत्री कांग्रेस के भी हैं, जिन्होंने आजन्म कब्जा कर रखा है, अशोक गहलोत साहब और पहाड़िया साहब से भी बंगले खाली कराये जाएं और मुख्य मंत्री से बंगला खाली कराया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करायी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं। यह सदन राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों से चलता है। मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं, इससे पहले मैं आपका ध्यान नियम 72 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 'संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें - किसी विधेयक के खण्ड या अनुसूचियों के असंशोधन की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- (1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध होगा उसके विषय से संगत होगा।'

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज इस सदन के सामने जो विचारार्थ है, वह है राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 और माननीय सदस्य, ने जो बात कही, राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 जिसका प्रशासनिक विभाग मंत्रिमण्डल सचिवालय है, उस बिल का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कहीं की बात कहीं पर निशाना, इस प्रकार की बात माननीय सदस्य द्वारा कहना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी पहले अप्रैल, 2017 में जब राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 में संशोधन की बात हम कर रहे थे उस वक्त माननीय सदस्य ने अपनी पूरी बात इसी अंदाज में कही थी। जो बात पहले सदन में कह चुके हैं, अब उसी बात को दोहरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से अगर संशोधन पर बोलते तो मैं मानता और, उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हम लेकर आये हैं यह संशोधन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी कि हमारे पूर्व माननीय सदस्यगण जो कभी न कभी इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनके खुद के साथ-साथ उनके आश्रितों को नि:शुल्क चिकित्सा उपचार मिले, इस प्रकार की घोषणा बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन में पूर्व में किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त वेतन पेंशन में शामिल नहीं था उसके कारण से बहुत कम पेंशन मिला करती थी, पर अब किसी भी अन्य स्रोत से मिलने वाला वेतन और पेंशन पूर्व सदस्यों के नाते मिलने वाली पेंशन और पारिवारिक पेंशन में शामिल होगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, जो पूर्व में विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनके बच्चों से आपकी हमदर्दी नहीं, उनकी विधवाओं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से आपकी हमदर्दी नहीं है और इस संशोधन का विरोध करके आपने उन सब लोगों को, जो कभी न कभी इस सदन के सदस्य रहे हैं, उनके बच्चों और उनकी विधवाओं की आह लेने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, जिस बिल की पहले अप्रैल, 2017 में चर्चा हो चुकी है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आज जो चर्चा इन्होंने उठाई उसको उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको एक्सपंज किया जाए। इन्होंने जो बात कही, वह बिलकुल गैर वैधानिक तौर से संसदीय परम्पराओं के विपरीत जाकर अपनी बात कही है।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: जिस स्टेज पर यह बिल है और जिस स्टेज पर आज डिबेट कर रहे हैं उसमें मंत्री महोदय का जवाब आने के बाद में तो कोई स्कोप रह ही नहीं गया। यह एक्सपंज करने की जो बात आपने कही है उसमें अगर एक्सपंज होगा तो फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वह भी एक्सपंज हो जाएगा क्योंकि आपने तकरीबन-तकरीबन वाले सारी चीज अपनी अभिव्यक्ति में ट्रांसलेट कर दी। मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर संशोधन मूव होता है, अगर थर्ड रीडिंग पर हो रहा है तो सम्माननीय सदस्य इस बात को जरूर आंक लें कि जिस चीज को सदन पारित कर चुका है और उसके बाद में अगर कोई सम्माननीय न्यायालय का अपना अनुभव आता है तो दूसरी प्रक्रिया से आप उस चीज को ला सकते हैं। You can move your own amendments through the different clauses and sections of the Rules of Vidhan Sabha. इसलिए आसन आपसे इतना सा निवेदन करता है कि क्योंकि सदस्य को बोलने की अनुमति आसन ने दी थी इसलिए आसन इस बात को एक्सपंज नहीं करा सकता क्योंकि आसन की अनुमति से बोला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप उदारमना हो पर इनको प्रताड़ित तो कर दीजिए। इनको प्रताड़ित कर दीजिए, इनको बाहर जाने के लिए कह दीजिए, सदन छोड़ने के लिए कह दीजिए। इनको प्रताड़ित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, सम्माननीय सदस्य, आप भी विराज जाएं। अब आप किस परिस्थिति में उनको प्रताड़ित करवाना चाहते हैं? अब इतना भी आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और प्रताड़ित कितना कराएंगे?

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: एक बात आपने ध्यान से देखा कि नहीं, वह आपको प्रताड़ित भी करवाना चाह रहे हैं और वह आपकी तरफ मुस्कुरा भी रहे हैं। अब ये आप दोनों की जो शारीरिक भाषा है न, ये विधान सभा के किसी रूल में नहीं आती। वर्ना, मैं उसकी व्याख्या पूछ लेता आप लोगों से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे प्रताड़ित करने का एक ही तरीका है कि ये कृपा करके मुझे बाहर निकाल दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आंखों-आंखों में कोई बात नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय। आंखों-आंखों में कोई बात नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय। हमारे नैन से नैन नहीं मिले हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, ये सदन अब इतना ज्यादा शिक्षित हो गया है कि आजकल की टैक्नोलाजी में आंखों से आंख मिलना जरूरी नहीं है। ये किस प्रकार से आपके बीच में व्यंग्य बाण चलें, उसको कहीं न कहीं पहले सुनिश्चित कर लिया गया होगा, ऐसा मैं कयास लगा रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2- स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2- स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड -1- अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। जो इससे पहले विधेयक था, वह तो पारित हो गया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय मेरा जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्रियों के....एक मिनट में निवेदन दूसरा, मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इस व्यवस्था, किसी बिल के पारण के मध्य में व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ उस बिल से संबंधित आ सकता है या उसकी प्रक्रिया से संबंधित आ सकता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल से संबंधित ही मैं कोई सूचना मांग रहा हूं आपसे। मेरा सवाल लगा हुआ था। अगर विधान सभा ने सवाल स्थगित किया है तो मेरे को रात को...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 15.03 बजे शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीमाधोपुर में स्वीकृत नलकूप

2. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के कस्बों, ग्रामों, ढाणियों व आबादी क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2008-09 से 2017 -18 तक कितने-कितने नलकूप/सिंगल फेज कब-कब स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों/सिंगल फेज निर्माण के लिए कार्यादेश कब-कब जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नलकूपों/सिंगल फेजों निर्माण कब-कब पूरा हुआ, पम्प सैट आदि की फिटिंग कब-कब हुई, विद्युत कनेक्शन के लिए कब-कब आवेदन किया गया व विद्युत संबंध कब-कब हुआ तथा उनको टंकियों से कब-कब जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में कितने-कितने नलकूप एवं सिंगल फेज ऐसे हैं जिनके अभी तक विद्युत संबंध नहीं हुए या टंकी से नहीं जोड़ा गया है? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में स्वीकृत कितने-कितने नलकूप/सिंगल फेज घटिया पम्प सैटों के कारण काम में नहीं आने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उक्त पम्प सैट कितने दिन बाद बदले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त नलकूप/सिंगल फेज के पम्प सैट/फिटिंग के लिए कोई गारंटी अवधि निर्धारित है तथा क्या विभागीय अभियंताओं द्वारा गारंटी अवधि में निरीक्षण का भी प्रावधान है? यदि हां, तो गारंटी अवधि एवं निरीक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के ग्राम, ढाणी एवं अन्य आबादी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2017-18 की अवधि में विभिन्न पेयजल योजनाओं अंतर्गत क्रमशः 167 थ्री-फेज नलकूप एवं 363 सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी।

उक्त स्वीकृत 167 थ्री-फेज नलकूपों की स्वीकृति के विरुद्ध 144 नलकूप वेधित कर चालू किये जा चुके हैं, 22 नलकूप वेधन के दौरान सूखे

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पाये जाने के कारण इनका निर्माण असफल रहा तथा भू-जल वैज्ञानिक की राय के अनुसार 1 नलकूप की विद्यमान पेयजल वितरण तंत्र से दूरी अधिक होने के कारण अतिरिक्त पाइप लाइन की स्वीकृति हाल ही में जारी की गयी है।

उक्त स्वीकृत 363 सिंगल फेज नलकूपों की स्वीकृति के विरुद्ध 360 नलकूप वेधित किये जाकर 342 नलकूप चालू किये जा चुके हैं, सौर ऊर्जा आधारित 1 नलकूप को अनुबंधक फर्म द्वारा चालू नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शेष 17 नलकूप वेधन के दौरान सूखे पाये जाने के कारण इनका निर्माण असफल रहा है। इस प्रकार शेष रहे 3 नलकूपों का वेधन स्थानीय विवाद एवं रिग मशीन की पहुंच नहीं होने के कारण इनका निर्माण संभव नहीं हो सका है।

वर्षवार स्वीकृत उक्त नलकूपों के संबंध में विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत थ्री-फेज एवं सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर जारी किये गये कार्यादेशों संबंधी पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(3) अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकृत योजना में सम्मिलित समस्त अवयवों को एक इकाई मानकर योजना के पूर्ण किये जाने की अवधि निर्धारित की जाती है।

योजना के पूर्ण होने की तिथि एवं उक्तानुसार निर्मित किये गये समस्त थ्री-फेज एवं सिंगल फेज सफल नलकूपों पर विद्युत संबंध लिये जाने संबंधी पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(4) उक्त वर्णित अवधि में सफल वेधित 145 थ्री-फेज नलकूपों में से 144 नलकूपों पर विद्युत संबंध लेकर इन्हें विभिन्न जलाशयों अथवा सीधे वितरण प्रणाली से जोड़ा जा चुका है एवं शेष 1 नलकूप को पाईप लाईन से जोड़े जाने के उपरांत विद्युत संबंध लिया जाकर चालू करना अपेक्षित है।

उक्त वर्णित अवधि में सफल वेधित 343 सिंगल फेज नलकूपों में से 339 नलकूपों पर विद्युत संबंध लिया जा चुका है, 3 नलकूप सौर ऊर्जा आधारित होने के कारण इन पर विद्युत संबंध नहीं लिया जाना है एवं शेष वेधित सौर ऊर्जा आधारित 1 नलकूप को अनुबंधक फर्म द्वारा उपरोक्तानुसार चालू नहीं किया गया है। इस प्रकार 342 सिंगल फेज नलकूपों को पी.वी.सी. टैंक से जोड़ा जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सम्पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(5) उक्त वर्णित अवधि में निर्मित किये गये थ्री-फेज तथा सिंगल फेज नलकूपों में निष्पादित अनुबंध की शर्तों में निहित मानक विशिष्टियों के अनुरूप सबमर्सिबल पम्प सैट स्थापित किये गये हैं तथा इन पम्प सैटों की गुणवत्ता सही नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) विभाग द्वारा थ्री-फेज तथा सिंगल फेज नलकूपों में प्रयुक्त पम्प मशीनरी तथा अन्य फिटिंग की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य हेतु उक्त वर्णित वित्तीय वर्षों में जारी दर संविदाओं में पृथक-पृथक डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित किया गया है।

वर्तमान में इन नलकूपों के निर्माण एवं चालू करने हेतु जारी दर संविदाओं की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है।

डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड में थ्री-फेज एवं सिंगल फेज नलकूपों में स्थापित पम्प सैट अथवा अन्य फिटिंग में आयी खराबी को ठीक करने का दायित्व निष्पादनकर्ता अनुबंधक फर्म का है। इस अवधि में नलकूप में कोई खराबी विभाग के संज्ञान में आने पर उसका निराकरण निष्पादनकर्ता अनुबंधक फर्म द्वारा विभागीय अभियंताओं की देख रेख में सुनिश्चित किया जाता है।

विभागीय अभियन्ताओं द्वारा डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड में उक्त निर्मित थ्री-फेज एवं सिंगल फेज नलकूपों के संचालन/संधारण कार्य सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है। विभाग के अधीक्षण अभियंता, वृत्त सीकर एवं अधिशासी अभियंता, खण्ड नीमकाथाना द्वारा योजनाओं के किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि समाप्त होने के बाद से विभाग द्वारा थ्री-फेज नलकूपों का तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा सिंगल फेज नलकूपों का संधारण/रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जैविक खाद को प्रोत्साहन देने की योजना

3. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में जैविक खाद एवं गोबर की खाद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(2) प्रदेश में कितने जिले व तहसीलें ऐसी हैं जहां पर बाहर से लोग आकर खेती करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन में रासायनिक खाद एवं दवाओं का छिड़काव अधिक हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी सब्जियों को लैब से जांच करवाकर उन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रासायनिक खाद एवं दवाओं के बढ़ते उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां बढ़ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजना मद से जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य के 33 जिलों में से 6 जिले व 27 तहसीलें ऐसी चिन्हित हुई हैं, जहां पर अक्सर बाहर के लोग भी आकर खेती करते हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कषकों द्वारा अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए सब्जियों में उर्वरक एवं कींटनाशी रसायनों का प्रयोग किये जाने का प्रचलन बढ़ रहा है। बाजार में विक्रय हो रही सब्जियों की गुणवत्ता जांच पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियम व विनियम 5 अगस्त, 2011 लागू होता है, जिसका क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

कृषि विभाग द्वारा सम्बन्धित कृषि जलवायवीय खण्ड हेतु जारी फसलों की उन्नत कृषि विधियों के अनुसार खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। इन विधियों में फसलवार प्रयोग किये जाने वाले रसायनिक खाद व कीटनाशक रसायनों की अनुशंसा के अनुसार ही उपयोग करने हेतु किसानों को सलाह दी जाती है।

(4) राज्य में विभाग द्वारा रसायनिक खाद एवं कीटनाशक रसायनों के उपयोग को कम करने एवं उत्तम गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एम. आई. ए. अलवर में उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम

4. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया, अलवर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ के अधिकांश ग्रामों में भारी प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एम.आई.ए. के उद्योगों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के हंस सरोवर बांध में दूषित जल छोड़कर जहरीले पानी से बांध को प्रदूषित कर दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एम.आई.ए. के उद्योगों का जल एवं वायु प्रदूषण के संबंध में 01 जनवरी, 2014 से 15 अगस्त, 2018 तक किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस उद्योग की कब-कब जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदूषण की जांच के दौरान दोषी पाये गये उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) एम.आई.ए. अलवर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट को दिनांक 15 अगस्त, 2018 तक भी प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे?

(6) क्या सरकार उक्त प्लान्ट को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. में स्थापित इकाइयों से जल एवं वायु का उत्सर्जन होता है। उक्त उत्सर्जन से प्रदूषण से इंकार नही किया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. अलवर से प्राकृतिक बहाव से औद्योगिक एवं अन्य उच्छिष्ट जल हंस सरोवर बांध में आ रहा है। औद्योगिक उच्छिष्ट के उपचार हेतु एम.आई.ए. अलवर में एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एम.आई.ए. अलवर में स्थित विभिन्न इकाइयों से वायु उत्सर्जन भी किया जाता है जिसकी समय-समय पर जांच की जाती है। उत्सर्जित जल एवं वायु के मानकों के अनुसार नहीं होने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(पर्यावरण मंत्री)

के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के हंस सरोवर बांध के जल के नमूने में टोटल संस्पेंडड सॉलिड (टी.एस.एस.), बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) एवं केमिकल आक्सीजन डिमांड (सी.ओ.डी.) मानकों से अधिक पाये गये। औद्योगिक एवं घरेलू प्रदूषित जल के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। औद्योगिक उच्छिष्ट के उपचार हेतु एम.आइ.ए. अलवर में एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एम.आई.ए. औद्योगिक क्षेत्र में 107 जल प्रदूषक उद्योग हैं। सभी प्रमुख वृहत/मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल उपचार करने के पश्चात् पुनः प्रक्रिया अथवा वृक्षारोपण में उपयोग में लिया जा रहा है। क्षेत्र के उद्योगों का औद्योगिक एवं घरेलू मल-जल नाले के द्वारा हंस सरोवर बांध में जा रहा है जिसके लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योगों की समय-समय पर जांच की जाती है एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) एम.आई.ए. स्थित उद्योगों की जल एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में 01 जनवरी, 2014 से 15 अगस्त, 2018 तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के जिन-जिन अधिकारियों द्वारा जाँच की गई, का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) प्रदूषण की जाँच के दौरान दोषी पाये गये उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(5) एम.आई.ए., अलवर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाना प्रक्रियाधीन नही है तथापि एम.आई.ए. अलवर में संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने की कार्यवाही सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा की जानी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से तैयार करवा ली गई है।

सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। एस.पी.वी. गठन पश्चात सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा सी.ई.टी.पी निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(पर्यावरण मंत्री)

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक 20000 वर्गमीटर भूमि का आबंटन रीको द्वारा दिनांक 31.05.2012 को मत्स्य जल परिशोधन ट्रस्ट अलवर को किया जा चुका है।

(6) सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। एस.पी.वी. गठन पश्चात सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा सी.ई.टी.पी. निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंजमण्डी में निर्माणाधीन तकली सिंचाई परियोजना

5. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमंडी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में निर्माणाधीन तकली सिंचाई परियोजना का कार्य किसान परिवारों के विरोध के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो किस-किस कारण से व किसान परिवारों की क्या-क्या मांगें हैं एवं प्रशासन द्वारा किन-किन मांगों पर क्या-क्या सहमति हुई तथा क्या प्रयास किये गये व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डूब क्षेत्र के किसान परिवारों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व पुनर्वास व विस्थापित हेतु प्रत्येक परिवार को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि डूब क्षेत्र में नहीं आए ग्राम रघुनाथपुरा के किसानों के परिवारों का भी सरकार पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसान भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार पुनस्थापना एवं पुनवर्यवस्थापन की मांग कर रहे है, जो कि इन्हें नियमानुसार देय नहीं है।

प्रशासन द्वारा पुन: कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के प्रयास अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के मकान,जो कि गैर मुमकिन आबादी, खाल-खद्दर एवं

(जल संसाधन मंत्री)

राजकीय भूमि दर निर्मित होने से नियमानुसार मुआवजे हेतु पात्रता नहीं रखने से इन मकान हेतु राशि रुपये 728.29 लाख अनुग्रह राशि के रूप में भूमि अवाप्ति अधिकारी को उपलब्ध करवाया जा चुका है। जिसमें से 228 मकानों का राशि रुपये 264.45 लाख का भुगतान किया जा चुका है। बाकी का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तर पर डूब क्षेत्र के किसानों से वार्ता कर कार्य शुरू करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) विस्थापित परिवारों को पुर्नवास कालोनी में भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा डूब क्षेत्र में स्थित मकानों का मुआवजा भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वितरित किया जा रहा है, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। पुनर्वास कालोनी में कुछ विस्थापित मकान निर्मित कर पुनर्स्थापित हो चुके हैं।

(3) जी नहीं। रघुनाथपुरा गांव के डूब क्षेत्र में नहीं आये परिवारों का पुनर्वास, नियमों के अंतर्गत नहीं आने से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 6

(स्थगित)

भरतपुर संभाग में खाद्य सुरक्षा योजनाओं में अनियमितता

7. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर संभाग के जिलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनायें यथा समेकित बाल विकास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, लक्षित जन वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व सहायता योजना, मध्याह्न भोजन योजना व रोजगार मूलक योजनाओं में गत साढ़े चार वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के स्थान पर अनियमितताओं के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो योजनावार अप्राप्त निर्धारित लक्ष्य व अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं में अधूरे लक्ष्यों एवं अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित अन्त्तयोदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह एवं अन्य पात्र लाभार्थियों (PHH) को 05 किग्रा. गेहूं 2 रु प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है

भरतपुर संभाग में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं में खाद्य विभाग से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

अत: लक्ष्य निर्धारित नहीं होने के कारण लक्ष्य से दूरी व अनियमितताओं के संबंध में किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अनियमितता नहीं बरती गई है

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में समाहित है।

मै. जिन्दल शॉ लि. के विरुद्ध सेवा शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही

8. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत दरीबा में कार्यरत "मै. जिन्दल शॉ लि." के द्वारा सेवा शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को मै. जिन्दल शॉ लि. के केमिकल युक्त मलबे को डम्प करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर वहां पर खनन कार्य करने की जानकारी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षो में इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मै. जिन्दल शॉ. लि. द्वारा सरकार द्वारा उठाये गये कदम के पश्चात् सेवा शर्तों में सुधार किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत दरीबा में मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड के पक्ष में आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, लौड, जिंक आदि खनिज का एक खनन पट्टा स्वीकृत होकर प्रभावशील है। कम्पनी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा एवं एक अन्य खनन पट्टा इस शर्त पर स्वीकृत किया गया

(राज्य मंत्री, खान)

कि कम्पनी को दोनों खनन पट्टों पर आधारित राज्य में दो वर्ष की अवधि में पेलेट प्लान्ट एवं चार वर्ष की अवधि में स्टील प्लान्ट की स्थापना करनी होगी। स्वीकृति की शर्तों की पालना में पट्टेधारी द्वारा पेलेट प्लान्ट की स्थापना समयावधि में कर दी गई है। कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में स्टील प्लाण्ट की स्थापना नहीं करने पर विभाग द्वारा दिनांक 05.12.2015 से नोटिस जारी किया गया।

(2) मैसर्स जिन्दल शॉ लि. द्वारा खनन के दौरान कैमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा आयरन ओर का बेनिफिकेशन भी मेगनेटिक सेपरेशन विधि से किया जाता है जिसमें भी कैमिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में केमिकल युक्त मलबे के डम्प करने का कोई मामला नहीं है। कम्पनी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में कैमिकल युक्त मलबे को डम्प करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने एवं पानी में कैमिकल की मात्रा होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की गई, जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गई। जांच में पानी के नमूने लिए जाकर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से विश्लेषण कराने पर पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई।

(3) कम्पनी द्वारा 0.26 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एक छोटा इनगोट स्टील प्लान्ट स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.02.2017 को पर्यावरण क्लियरेन्स जारी की गई है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लाण्ट की स्थापना के संबंध में भूमि आबंटन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

सैपऊ (धौलपुर) में बाईपास निर्माण की योजना

9. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के तहसील मुख्यालय सैपऊ के मुख्य बाजारों से आगरा एवं जयपुर के लिए भारी वाहनों का आवागमन रहता है तथा भारी वाहनों के दबाव के कारण मुख्य बाजारों में आये दिन दुर्घटनाएं एवं मार्ग अवरुद्ध रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बाड़ी रोड से भरतपुर-धौलपुर रोड को जोड़ते हुए सैपऊ में बाई पास बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सैपऊ में बाई पास बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विराटनगर की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

10. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में कौन-कौन से ग्रामों में थ्री फेज नलकूप की योजना के बिना पेयजल आपूर्ति की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम की थ्री फेज नलकूप पेयजल योजना सरकार के पास विचाराधीन है? उक्त विचाराधीन योजनाओं को अब कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4000 की आबादी वाले किन-किन ग्रामों में उच्च जलाशयों का निर्माण सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 1000 से ज्यादा आबादी वाले ग्रामों में सरकार द्वारा थ्री फेज तथा जी.एल.आर. स्कीम स्वीकृत करने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 148 ग्राम सम्मिलित हैं तथा इनमें से 147 ग्राम आबाद तथा 1 ग्राम गैर -आबाद हैं।

उक्त 147 आबाद ग्रामों में से 29 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 10 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 39 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 69 ग्राम हैण्ड पम्प जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं । इस प्रकार पाइप्ड, क्षेत्रीय तथा पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से लाभान्वित 78 ग्रामों में थ्री-फेज नलकूपों के साथ-साथ हैण्ड पम्प एवं सिंगल फेज नलकूपों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित 69 ग्रामों में थ्री-फेज नलकूप वर्तमान में स्थापित नहीं हैं तथा इन ग्रामों में स्थापित हैण्ड पम्प एवं सिंगल फेज नलकूपों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित 4 ग्राम क्रमश: किशनपुरा, लाखावाला, देवली एवं करणीसागर की पम्प एवं टैंक जल योजना में स्वरूप परिवर्तन के प्रस्ताव विभागीय नीति निर्धारण समिति से अनुमोदन पूर्व सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। तकनीकी परीक्षण में इन पेयजल योजनाओं के प्रस्तावों के सही पाये जाने पर योजनाओं के स्वरूप परिवर्तन तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार संभव हो सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त 6 ग्रामों की पाइप्ड जल योजना तथा 4 ग्रामों की पम्प एवं टैंक जल योजनाओं के बनाये गये प्रस्तावों में सक्षम स्तर से पाई गई गई तकनीकी कमियों के परिपेक्ष्य में इन्हें पुन: संशोधित किया जा रहा है।

योजनावार प्रस्तावों संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 4000 से अधिक की जनसंख्या वाले कुल 16 ग्राम सम्मिलित हैं तथा इन 16 ग्रामों में से पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित 15 ग्रामों में उच्च जलाशयों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त क्षेत्र की पंचायत समिति, शाहपुरा के एक ग्राम नाथावाला (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या - 4053) की पम्प एवं टैंक जल योजना का संचालन एवं संधारण स्वजलधारा योजना अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम की उच्च जलाशय आधारित बनाई गयी योजना के प्रस्तावों में सक्षम स्तर से पाई गयी गयी तकनीकी कमियों के परिपेक्ष्य में इन्हें पुन: संशोधित किया जा रहा है। सक्षम स्तर पर संशोधित प्रस्तावों के पुन: प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।

(4) विभागीय नीति अनुसार वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में हैण्ड पम्प जल योजना, 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पाइप्ड जल योजनाएं लागू की जाती हैं।

विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले कुल 46 ग्राम सम्मिलित हैं तथा इनमें से 36 ग्रामों में थ्री फेज नलकूप एवं जलाशयों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है। हैण्ड पम्प योजना से वर्तमान में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाभान्वित शेष 10 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना के स्वरूप परिवर्तन के मानदण्ड में आते हैं। इनमें से 4 ग्राम किशनपुरा, लाखावाला, देवली एवं करणीसागर की पम्प एवं टैंक जल योजना में स्वरूप परिवर्तन के प्रस्ताव विभागीय नीति निर्धारण समिति से अनुमोदन पूर्व सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में हैं।

शेष 6 ग्रामों में से 4 ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर भेजे जाने की पक्रिया में हैं एवं 2 ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव भू-जल की उपलब्धता एवं तकनीकी संभाव्यता के अनुसार बनाया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता के आधार पर उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

योजनावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना की पशु चिकित्सा केन्द्रों से वंचित ग्राम पंचायतें

11. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में पशु चिकित्सा के नये उप केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2013 से दिनांक 15 अगस्त, 2018 तक कितने उप केन्द्र खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीन उप केन्द्रों में से कितने केन्द्रों पर पद रिक्त हैं व कितने पद भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाई जायेगी? यदि हां, तो उक्त विधान सभा में 15 अगस्त, 2018 तक कितनी ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा सेवा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में दिसम्बर 2013 से 15 अगस्त, 2018 तक 27 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उप केन्दों में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(पशुपालन मंत्री)

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	पशुधन सहायक	27	10	17
2	जलधारी	27	00	27

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 15 अगस्त, 2018 तक 18 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा संस्था स्वीकृत नहीं है। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में खेल स्टेडियम की स्थापना

12. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा उपखण्ड मुख्यालय होने के उपरान्त भी कोई खेल स्टेडियम नहीं है?

(2) क्या सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु भादरा में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व का कोई स्टेडियम बना हुआ नहीं है। स्थानीय स्कूल में खेल मैदान बना हुआ है। जिसे खिलाड़ियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है।

(2) समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत संभाग, जिला, तहसील/पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। योजान्तर्गत यथोचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

जमवारामगढ़ बांध को पूर्वी नहर परियोजना से जोड़ने की योजना

13. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना में किन-किन जिलों को शामिल किया गया है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ बाँध को भी उक्त योजना से जोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना अन्तर्गत कोटा जिले की दीगोद तहसील के ग्राम ऐबरा के पास कालीसिंध नदी पर नौनेरा बैराज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, निविदा स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, परियोजना का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 14

(स्थगित)

कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजना के लाभार्थी

15. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत कोटा जिले में कितने व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लाभार्थी को चिन्हित करने के क्या मानदण्ड रहे? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिन्हित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त योजना के तहत जुलाई, 2018 तक कोटा जिले में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजना के तहत कोटा जिले में चिन्हित लाभान्वितों की ग्राम पंचायत वार एवं वार्डवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों के चिन्हीकरण एवं नाम समावेशन निष्कासन हेतु मापदण्ड विभागीय नवीनतम अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 द्वारा निर्धारित किये गये हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित समस्त पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश में माह सितम्बर 2016 से खाद्यान्न का वितरण पोस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात एवं प्रतिमाह विभागीय पोर्टल पर परिलक्षित अन्त्योदय राशनकार्डधारियों एवं अन्य प्राथमिकता परिवारों की नवीनतम आनलाइन संख्या। यूनिट के आधार पर किया जा रहा है।

वर्तमान मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा अपीलीय प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित "खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र" के साथ अपीलार्थी समावेशन पात्रता के वांछित दस्तावेज संलग्न कर अपील प्रस्तुत कर सकता है। खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति अपीलीय प्रक्रिया के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करवा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अक्टूबर, 2013 से जुलाई 2018 तक जिला कोटा को आबंटित खाद्यान्न गेहूं मात्रा का विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही

16. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(1) क्या अलवर जिले की तहसील बानसूर, किशनगढ़बास एवं तिजारा तथा रामगढ़ में खनन पट्टों की आड़ में राजकीय एवं चरागाह भूमि में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त तहसीलों में खनन पट्टों की समय-समय पर जांच की गई है? यदि हां, तो क्या खनन पट्टों तथा पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बताये गये उत्पादन का मिलान होता है यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त खनन पट्टों के पिटों (क्षेत्र) की पैमाईश कर उत्पादित खनिज की मात्रा की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार खनन पट्टों में स्वीकृति के समय उपलब्ध खनिज की मात्रा से अधिक खनिज का उत्पादन पट्टाधारी द्वारा बताये जाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने व इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की तहसील बानसूर एवं तिजारा में जनवरी, 2015 से अब तक किसी भी खनन पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टे की आड़ में राजकीय एवं चरागाह भूमि में अवैध खनन किया जाना नहीं पाया गया। उक्त अवधि में तहसील किशनगढ़बास एवं रामगढ़ में 15 खनन पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर राजकीय भूमि में अवैध खनन किया जाना पाया गया जिनके विरुद्ध रुपये 2308.65 लाख की शास्ती की मांग कायम की गई। 8 प्रकरणों में शास्ती राशि रुपये 129.90 लाख वसूल किये गये तथा शेष शास्ती राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जनवरी, 2015 के पश्चात् तहसील रामगढ़ में खनन पट्टों की जांच में 45 प्रकरणों में पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में दर्शाए गए उत्पादन का मिलान खनन पट्टों में अवस्थित पिट मेजरमेंट के अनुसार नहीं पाया गया, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त भिन्नता खनन पट्टा क्षेत्र से बिना रवन्ना खनिज का निर्गमन करने अथवा खनिज का अन्यत्र खनन कर खनन पट्टे के रवन्नाओं का दुरुपयोग कर निर्गमन करने के कारण है।

(राज्य मंत्री, खान)

(3) पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में दर्शाई गई खनिज उत्पादन की मात्रा में यदि विभाग को संशय होता है अथवा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा खनन पट्टों में अवस्थित पिटों का मेजरमेंट करवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। पृथक से जांच कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(4) जी नहीं। खनन पट्टों की स्वीकृति के समय उपलब्ध खनिज की वास्तविक मात्रा का पृथक से आंकलन नहीं किया जाता है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा विभाग को संशय होता है तो विभाग नियमानुसार पिट मेजरमेंट कर खनिज की मात्रा की गणना करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान

1. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में नवम्बर व दिसम्बर, 2017 में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी राशि का व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त अल्प वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विश्वविद्वालय में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2017 में श्रीमती हंजा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, आरजीया, भीलवाड़ा आधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुई है ।

(2) श्रीमती हंजा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानिवृत्त लाभ में बकाया अवकाशों का भुगतान रु. 2,89,910/- किया जा चुका है। भविष्यनिधि का भुगतान रु. 6,57,701/- किया जा चुका है । तथा पेंशन प्रकरण में सभी, अशदधियों का सुधार कराने के पश्चात् दिनांक 30.08.2018 को निस्तारित कर पी.पी.ओ. संख्या 1083 जारी किया जा चुका है।

(3) श्रीमती हंजा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन कुलक में कमियों के कारण पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब हुआ है।

(4) विश्वविद्वालय द्वारा पेंशन फण्ड की उपलब्धता अनुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा के पूर्व निदेशक के बकाया का भुगतान

2. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा के पूर्व निदेशक को ए.पी.ओ. किया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक एवं उक्त अधिकारी कब सेवानिवृत्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी को पदस्थापन प्रतीक्षा काल के वेतन-भत्ते दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं भुगतान में विलम्ब हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारी को बकाया वेतन-भत्ते, बीमा एवं राज्य प्रावधायी निधि सहित देय पेंशन परिलाभों का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री शीतल प्रसाद शर्मा, तत्कालीन निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को दिनांक 08.09.2017 को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था। श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर दिनांक 19.09.2017 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2017 को वेकेट कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में श्री शीतल प्रसाद शर्मा को आदेश दिनांक 12.10.2017 के द्वारा पुन: पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया। इसके क्रम में श्री शीतल प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 23.10.2017 को उपस्थिति दी गई तथा वे दिनांक 11.03.2018 तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कृषि आयुक्तालय में रहे। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(03) कार्मिक/क-3/जांच/2018 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा श्री शीतल प्रसाद शर्मा को राज्य सेवा से हटाये (Removal from Service) जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। श्री शर्मा दिनांक 31.03.2018 को राज्य सेवा से सेवानिवृत होने वाले थे। दिनांक 08.09.2017 तथा दिनांक 12.10.2017 को श्री शर्मा को पदस्थापन आदेश में रखे जाने के आदेश परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

(2) श्री शीतल प्रसाद शर्मा की एपीओ अवधि दिनांक 23.10.2017 से 11.03.2018 का नियमन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(6) कृषि-1/2018 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर दिया गया, जिसके क्रम में उनके बकाया वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया गया है। एपीओ अवधि के बकाया वेतन भत्तों के भुगतान की स्वीकृति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(03) कार्मिक/क-3/जांच/2018 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा श्री शीतल प्रसाद शर्मा को महिला कार्मिकों के उत्पीड़ाजनक व्यवहार करना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) तथा धारा 3(2) एवं राज0 सिविल सेवाऐ (आचरण) नियम 1971 के नियम 25 एए का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री शर्मा को राज्य सेवा से हटाये (Removal from Service) जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था। उक्त आदेशों के अनुसरण मे प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांक प.2(35)/कृषि-1/2017 दिनांक 12.03.2018 के अनुसार श्री शीतल प्रसाद शर्मा, निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से हटाये (Removal from Service) जाने के आदेश जारी किये गये।

इस क्रम में श्री शीतल प्रसाद शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 2313/2018 दायर की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2018 को कार्मिक विभाग के दण्ड आदेश दिनांक 12.03.18 को अपास्त किया गया।

राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील एस.ए.डब्ल्यू सं. 999/2018 दिनांक 31.07.2018 दाखिल की गई है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। श्री शर्मा के नियमन में प्रक्रियागत समय ही लगा है, जिसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं है। पूर्व में श्री शर्मा का प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन भी रहा।

(3) जी नहीं। विस्तृत विवरण बिन्दु सं. 2 के जवाब में उल्लेखित किया गया है।

(4) श्री शीतल प्रसाद शर्मा को नियमानुसार देय बकाया वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया गया है। बीमा व राज्य प्रावधायी निधि के दावों के लिए श्री शर्मा को स्वयं ही ऑनलाईन आवेदन किया जाना है, जो कि विभाग के द्वारा निवेदन करने के पश्चात भी प्राप्त जानकारी अनुसार उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

पेंशन परिलाभों को प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील एस.ए.डब्ल्यू सं. 999/2018 के निर्णय पश्चात विचारण किया जाकर नियमानुसार निर्णय ले लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

3. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं? क्या उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत पदोनुसार चिकित्सक एवं पशुधन सहायक कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार स्वीकृत पदोनुसार चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त पर निर्णय कब तक ले लिया जाएगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में 6 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 7 पशु चिकित्सालय (कुल 13 पशु चिकित्सालय) स्वीकृत हैं।

जी नहीं। प्रदेश में वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 932 पद तथा पशुधन सहायकों के 2104 पद रिक्त होने के कारण विधान सभा क्षेत्र भीम की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत समस्त पद भरे हुए नहीं हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को मानव संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता से भरा जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदण्ड पूर्ण होने पर खोली जाती हैं।

प्रदेश में प्लास्टिक व पॉलिथिन के उपयोग पर रोक की कार्ययोजना

4. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्लास्टिक एवं पॉलीथिन से नदी,

श्रीमती शकुन्तला रावत)

नाले व रास्तों पर गंदगी के साथ-साथ पर्यावरण भी दूषित हो रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये सख्त कानून बनाकर प्लास्टिक एवं सभी प्रकार की पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए मिट्टी के कुल्हड़, गिलास व पत्तों से बनी प्लेट निर्मित करने वालों को सब्सिडी देकर उन्नत सामग्री बनाने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पॉलीथिन से ड्रेनेज सिस्टम अवरूद्ध हो जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक एवं पॉलीथिन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर रोकथाम करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 द्वारा सम्पूर्ण राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग्स मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया एवं राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया एवं निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति जिसमें दुकानदार, विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेड़ी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिये प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा।

स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त करने की कार्यवाही नगरीय निकाय स्तर पर की जाती है। जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 द्वारा सम्पूर्ण राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग्स मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया एवं राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया एवं निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति जिसमें दुकानदार, विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेड़ी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिये प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। यह भी

(पर्यावरण मंत्री)

निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति 01 अगस्त, 2010 के पश्चात राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन नहीं करेगा। संबंधित अधिसूचना की प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ तथा स्पष्टीकरण दिनांक 13/09/2010 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गयी है तथा राज्य मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पॉलीथिन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन इकाई राज्य मंडल की सम्मति प्राप्त कर कार्यरत नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त करने की कार्यवाही नगरीय निकाय स्तर पर की जाती है।

(3) उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मिट्टी के कुल्हड़, गिलास व पत्तों से बनी प्लेट बनाने सहित अन्य उद्यमों की स्थापना हेतु भामाशाह रोजगार सृजन योजना (राज्य सरकार की योजना) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (भारत सरकार की योजना) अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से अनुदान आधारित ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर डाक बंगले की मरम्मत कराने की कार्ययोजना

5. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विभाग के द्वारा बनाए गए कितने भवन स्थित हैं व उक्त भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में उक्त भवनों की मरम्मत के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ व उसमें से कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं? क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने नए भवनों की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार फतेहपुर में स्थित डाक बंगले का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त डाक बंगले के जर्जर होने के कारण उसमें कोई भी नहीं ठहर सकता है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनाये गये भवनों की सूची एवं उक्त भवनों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गत चार वर्षों में उक्त भवनों की मरम्मत के लिए स्वीकृत बजट एवं मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। राजस्व विभाग एवं प्रशासनिक विभाग के आवासीय भवनों की स्थिति संतोषजनक है जबकि तीन क्वार्टरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है एवं ये क्वार्टर मरम्मत योग्य हैं। उक्त क्वार्टरों की मरम्मत किया जाना राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में 12 नये भवनों की आवश्यकता है, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। फतेहपुर में स्थित डाक बंगले का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत किया जाना राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(6) जी हां। उक्त भवन का अधिकांश हिस्सा जर्जर हालत में होने के कारण दो कमरों में अतिथि ठहरने की स्थिति में नहीं है। उक्त कमरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-बयाना बस का पुन: संचालन

6. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भजन लाल जाटव)

(1) जयपुर से बयाना (भरतपुर) के लिए वर्तमान में कितनी बसें, कब-कब संचालित हैं? समय सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से बयाना चलने वाली सुबह 7:30 बजे वाली बस कुछ दिनों से अज्ञात कारणों से बंद कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उक्त बस को पुन: चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर से बयाना (भरतपुर) के लिए वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 13 बसें संचालित हैं। समय सारणी परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण जयपुर से बयाना मार्ग पर सुबह 07.14 बजे की बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(3) जयपुर से बयाना मार्ग पर निगम की पर्याप्त अन्तराल में सेवाएं तथा लिंक सेवाएं संचालित होने के कारण सेवाएं बाधित नहीं हैं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बन्द सेवा को पुन: संचालित किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांवली ग्राम (दूदू) में गौरव पथ का निर्माण

7. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ बनाने के लिए क्या-क्या मानदण्ड बनाये गये हैं? इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में गौरव पथ बनाया जा रहा है? यदि हां, तो कहां से कहां तक? उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की जा रही है? मय एस्टीमेट, G शिड्यूल, DPR में L सैक्शन X सैक्शन के ड्राइंग की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम सांवली में गौरव पथ सरकार के निर्धारित मानदण्डों के विपरीत मुख्य आबादी से 1/2 किमी. दूर 30 घरों की आबादी व अधिकतर क्षेत्र खुला होने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति विशेष के खेतों में जाने के लिये

(श्री भागीरथ चौधरी)

1000 मीटर तक खुले क्षेत्र में बनाया जा रहा है? क्या सरकार मानदण्डों के विपरीत खुले क्षेत्र में बनाये जा रहे गौरव पथ पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या नियम विरुद्ध बनाये जा रहे उक्त गौरव पथ के लिए मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य अभियंता (पथ) अधीक्षण अभियंता, संबंधित अधिशासी अभियंता को 06 माह पूर्व शिकायतें की गयी थीं? यदि हां, तो उक्त प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त गौरव पथ को पूरा करने का समय 11 जुलाई, 2018 निर्धारित था तथा संबंधित संवेदक एवं सहायक अभियंता दूदू द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारियों को गौरव पथ नहीं बनाये जाने के संबंध में असमर्थता प्रकट की गयी थी व लिखित में भी दिया गया है? यदि हां, तो उक्त गौरव पथ को बनाये जाने के क्या कारण हैं? संवेदक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा गौरव पथ बनाये जाने में असमर्थता के लिए लिखे गये पत्रों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ बनाने के जो मानदण्ड बनाये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत सांवली में पथवारी से बलाईयों के मकान, देगड़ों की ढाणी तक 1.00 किमी. लम्बाई में गौरव पथ निर्माण हेतु 60.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके विरुद्ध अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

एस्टीमेट, जी शिड्यूल, क्रास सैक्शन की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी नहीं। ग्राम सांवली में ग्रामीण गौरव पथ पथवारी से 500 मीटर सघन आबादी में तथा शेष 500 मीटर छितराई आबादी में बलाईयों के मकान एवं देगड़ों की ढाणी तक स्वीकृति के अनुसार ही बनाया जाना प्रस्तावित है। गौरव पथ का निर्माण निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(4) उक्त गौरव पथ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार निर्माण करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(5) जी हां। सम्बन्धित संवेदक द्वारा अतिक्रमण एवं स्थानीय विवाद उत्पन्न होने के कारण कार्य करने में असमर्थता जाहिर की गयी है। सहायक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
अभियन्ता, दूदू द्वारा कार्य करने में कोई असमर्थता प्रकट नहीं की गयी है। स्वीकृति के अनुसार ही गौरव पथ बनाया जाना प्रस्तावित है। संवेदक द्वारा लिखित पत्र परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भिवाड़ी शहर की एनएच 71-बी सड़क का निर्माण

8. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के शहर भिवाड़ी में मुख्य रोड एनएच 71 बी की हालत अत्यधिक जर्जर होने के कारण छोटे वाहनों के आवागमन में भी काफी असुविधा हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का निर्माण हरियाणा सरकार करवाती है?

(3) क्या सरकार एनएच 71 बी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रेवाड़ी परियोजना इकाई से दिनांक 29.08.2018 को प्राप्त ई-मेल के अनुसार दिनांक 01.08.2018 से उक्त सड़क का रख रखाव भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(3) उक्त सड़क भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन होने के कारण इस सड़क के निर्माण के विषय में राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रेवाड़ी परियोजना इकाई ने अपने ई-मेल दिनांक 29.08.2018 के द्वारा उक्त सड़क खण्ड के रख रखाव के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार वर्णित की है:-

"The maintenance of the road section from km 17/700 to km 26/300 of NH-71B was lying with Govt. of Haryana till 31.07.2018. NHAI. PIU-Rewari has taken over the above road section on 01.08.2018. The work of "upgrading the Dharuhera-Bhiwadi Section (km 17/700 to km 26/300 of NH-71B) to traffic worthy condition" has been awarded to M/s Atlas Construction Pvt. Ltd. The agency has already started the work on ground and would be completed within three months."

जयपुर पूल के आवासों की मरम्मत पर व्यय राशि

9. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग द्वारा जयपुर पूल में वर्ष 2016 से जुलाई, 2018 तक किस-किस योजना के अंतर्गत आवासों में मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गयी? प्रत्येक आवास में स्वीकृत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधायक आवासों में मरम्मत कार्य हेतु किस-किस योजना में कार्य करवाये गये, किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन आवासों में गुणात्मक जांच करवाई गई व उक्त आवासों में मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधायक नगर पश्चिम विधान सभा के गेट नंबर 6 के सामने फुटपाथ निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 8/3 से 8/5 तक के आवासों में लगाया गया कोटा स्टोन पुराना है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासों में 8/23 के दायें भाग में खाली भूखण्ड पर किसी अधिकारी की मिलीभगत से अतिक्रमण करवाया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2016 से जुलाई, 2018 तक जयपुर स्थित माननीय विधायकों के राजकीय आवासों में मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 2016 से जुलाई 2018 के दौरान माननीय विधायकों के राजकीय आवासों में मरम्मत एवं रखरखाव मद में विभिन्न आवासों में मरम्मत कार्य करवाये गये। इन आवासों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच की गई। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक कराये गये हैं। माननीय विधायकों के विभिन्न आवासों में मरम्मत एवं रखरखाव मद के अन्तर्गत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सिविल एवं विद्युत कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2(क) एवं 2(ख) पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। विधायक नगर पश्चिम विधान सभा के गेट नम्बर 6 के सामने फुटपाथ निर्माण कार्य में किसी प्रकार की घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी नहीं। आवास संख्या 8/1 एवं 8/5 के पीछे आंशिक रूप से कुछ पुराना कोटा स्टोन लगाया गया है, जो कि विभाग के पास उपलब्ध था। इस कारण संवेदक को कोटा स्टोन का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कार्य मरम्मत मद के अन्तर्गत करवाया गया है। इस कार्य की कोई जांच प्रस्तावित नहीं है।

(5) जी नहीं। विधायक आवास संख्या 8/23 के दायें भाग में खाली भूखण्ड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी की मिलीभगत से अतिक्रमण नहीं करवाया गया। इस प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता, उपखण्ड विधान सभा-प्रथम द्वारा विधान सभा को सूचित किया गया है। (पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।) शिकायत के बाद यह अतिक्रमण नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है। इस प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर में प्राथमिकी संख्या 202 दिनांक 23.07.2018 को दर्ज करवाई गई है, (जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।) जिसकी जांच विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ाने के उपाय

10. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में डार्क जोन किस-किस जिले में तथा कब-कब लागू किया गया तथा नागौर जिले में कौन-कौनसे गांव डार्क जोन में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा डार्क जोन से प्रभावित क्षेत्रों में भू-जल का स्तर बढ़ाने हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये तथा किस क्षेत्र में कितनी राशि भूजल स्तर बढ़ाने हेतु व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा डार्क जोन क्षेत्रों में डार्क जोन हटाने हेतु किसी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कमेटी का गठन या कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कमेटी की बैठकों व आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डार्क जोन से प्रभावित क्षेत्रों में जहां जल स्तर वापस बढ़ गया है, को डार्क जोन से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भू जल विकास दर को 1998 से पूर्व में व्हाइट, ग्रे व डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता था। जिसके तहत 85-100% व 100% से अधिक भू जल विकास स्तर वाले क्षेत्र को डार्क जोन कहा जाता था वर्तमान में संवेदनशील (Critical) (भू जल विकास दर 90-100%) श्रेणी एवं अति दोहित (Over-exploited) (भू जल विकास दर 100% से अधिक) श्रेणी को डार्क जोन के समकक्ष कहा जा सकता है।

भूजल आकलन एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा किसी भी क्षेत्र में गत वर्षों के भू जल पुनर्भरण एवं भू जल दोहन के आधार पर इसका निर्धारण केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशों पर भू जल आकलन समिति की गाइड लाइन के अनुरूप पंचायत समिति को इकाई मान कर किया जाता है। भू जल आकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जिलेवार गत वर्षों की श्रेणीवार सूची संलग्न है। (संलग्न-1)

वर्तमान में नागौर जिले की डेगाना, डीडवाना, जायल, कुचामन सिटी, मकराना, मेड़ता, मूडंवा, परबतसर एवं रियां पंचायत समितियों के समस्त गांव अति दोहित श्रेणी में आते हैं।

(2) भू जल स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निम्न प्रयास किये गये।

(i) वर्तमान में राज्य में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्वावलम्बन हेतु विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है इस योजना के तीसरे चरण का कार्य पूर्णता की ओर है तथा चतुर्थ चरण का कार्य प्रगति पर है।

(ii) वर्षा जल संग्रहण हेतु नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश पत्रांक एफ.55(4)पी.ए./एस.ई./डी.एल.बी./10/भूजलपुर्नभ/1937-2131 दिनांक 16.04.2010 एवं समसंख्यक पत्रांक 2248-2527 दिनांक 13.05.2010 के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित 300

(भूजल मंत्री)

वर्ग की एवं उससे अधिक के क्षेत्र के भूखण्डों पर निर्मित/नये बनने वाले समस्त भवनों में छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य किया गया है।

(iii) प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति माह फरवरी 2010 में लागू कर दी गई है जल सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है।

(iv) भारत सरकार द्वारा अनुदानित कूप द्वारा भू जल पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत राज्य में 4619 संरचनाओं का निर्माण विगत वर्षों में किया गया इस हेतु सब्सिडी NABARD द्वारा सीधे ही कृषकों के खातों में जमा करवा दी गई।

(v) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना के तहत राज्य में मण्डोर-ओसियां क्षेत्र जिला जोधपुर, खमनोर क्षेत्र जिला राजसमन्द एवं पीपराली क्षेत्र जिला सीकर में 319 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया। जिन पर 745.42 लाख का व्यय किया गया।

(vi) मनरेगा के तहत 287 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान विभाग द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में भू जल संरक्षण हेतु वाटर रिचार्जिंग सिस्टम व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भू जल विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया है जो मांग/आवश्यकतानुसार इन संरचनाओं के निर्माण करनें वाले विभागों यथा जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, मृदा संरक्षण व वाटर शेड विभाग व कृषि विभाग इत्यादि को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(3) डार्क जोन लगे क्षेत्रों में डार्क जोन हटाने हेतु किसी कमेटी का गठन या निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का श्रेणी निर्धारण भू जल विकास दर के आधार पर भू जल आकलन समिति की गाइड लाइन के अनुसार केन्द्रीय भू जल बोर्ड भारत सरकार के द्वारा किया जाता है।

(4) वर्तमान में भू जल आकलन समिति 2015 की नवीन गाइड लाइन के अनुसार भू जल आकलन रिपोर्ट 2017 का कार्य प्रगति पर है। इसमें

(भूजल मंत्री)

नवीन आंकड़ों (भू जल स्तर सहित) एवं पंचायत समितिवार भू जल विकास दर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों का पुन: वर्गीकरण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करणी जी माइनर की साफ-सफाई की कार्ययोजना

11. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार करणी जी माइनर की साफ-सफाई के लिये पर्याप्त बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गंगनहर प्रणाली में करणी जी माइनर विद्यमान नहीं होकर करणी जी वितरिका निर्मित है। इस वितरिका की साफ-सफाई का आवश्यक कार्य संबंधित जल उपभोक्ता संगमों द्वारा करवाया जाता है, जिस हेतु संगम अध्यक्षों को वसूल किये गये सिंचाई शुल्क का 42.50 प्रतिशत हिस्सा तथा 5 प्रतिशत हिस्सा जल वितरण समिति के चैयरमेन को उपलब्ध करवाया जाता है।

रामगंजमण्डी में राशन सामग्री का वितरण

12. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रदेश में जनता को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री गेहूं, चीनी व कैरोसीन आदि का वितरण समय पर नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विभाग द्वारा कौन-कौन सी सामग्री कितने-कितने समय पर किस-किस के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षो में विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में किस-किस डीलर को, कितनी-कितनी सामग्री कब-कब उपलब्ध करवाई जानी थी, तथा किस-किस डीलर को किस-किस दिनांक को, कितनी-कितनी सामग्री उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में जनता को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री गेहूं, चीनी एवं कैरोसीन का वितरण समय पर किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विभाग द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा प्रति कार्डधारी तथा अन्य प्राथमिकता परिवारों को प्रति यूनिट 5 किग्रा गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से प्रतिमाह नियमानुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2.5 लीटर कैरोसीन प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड उपलब्घ करवाया जा रहा है तथा अन्त्योदय परिवारों को 1 किग्रा प्रतिमाह प्रति परिवार चीनी उपलब्ध करवायी जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में विगत पांच वर्षों में उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराई जाने वाली एवं उपलब्ध कराई गई सामग्री दिनांकवार परिशिष्ट अ, ब एवं स पर (जिला रसद अधिकारी कोटा से प्राप्त सूचनानुसार) संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में उज्जवला योजना के लाभार्थी

13. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में उज्जवला योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सिवाना में योजना प्रारम्भ होने से अब तक कितने लोग लाभान्वित किये गये हैं? लाभार्थियों के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने आवेदन लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में लाभान्वित करने हेतु कौन-कौन से वर्गों को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) से प्राप्त सूचना के आधार पर एचपीसीएल द्वारा 3788 आईओसीएल द्वारा 8848 तथा बीपीसीएल द्वारा 3274 महिला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं गैस कनेक्शनधारियों के एजेन्सीवार ग्रामवार/नामवार विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary. php

https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx

https://ebharatgas.com/ → mylpg/→ Ujjwala Beneficiary

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) से प्राप्त सूचना के आधार पर पात्र परिवारों को आवेदन करते ही पीएमयूवाई योजना के तहत कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) से प्राप्त सूचना के आधार पर secc-11 के अतिरिक्त निम्न 7 श्रेणियों के उपभोक्ताओं को चयन किया जाकर विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है:-

1. All SC/ST households.
2. Beneficiaries of PMAY (Gramin)
3. Antoydaya Anna Yojana (AAY)
4. Forest dwellers
5. Most Backward Classes (MBC)
6. Tea and Ex-tea Garden Tribes.
7. People residing in Islands rivers etc.

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की योजना

14. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता सहायकों एवं सहयोगिनियों द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा व पोषाहार वितरण का कार्य करवाया जाता है? क्या उक्त को अब तक नियमित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता सहायिका एवं सहयोगिनियों द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, पोषाहार वितरण कराये जाने का काम लिया जा रहां है।

जी हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी स्वैच्छिक भावना से कार्य करने वाली मानदेय कर्मी हैं इसलिए इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता।

(2) जी हां। जी, नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, सहयोगिनी स्वैच्छिक भावना से कार्य करने वाली मानदेय कर्मी हैं, इसलिए इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता।

प्रदेश में सुरक्षित खनन को सुनिश्चित करने की कार्ययोजना

15. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यशील खानों में भारी मशीनों या ब्लास्टिंग का उपयोग करने से पूर्व धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 106(2)(बी) के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

(2) क्या यह भी सही है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में जारी अनुमति में दी गयी शर्तों की पालना के पश्चात् ही भारी मशीनों या ब्लास्टिंग का उपयोग कर खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है?

(3) प्रदेश में वर्तमान में कितनी खानों में उपरोक्त नियम का उल्लंघन कर खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा गत 6 माह में उपरोक्त नियम की पालना हेतु जारी किए गए नोटिसों का तिथिवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में जारी अनुमति में दी गयी शर्तों की पालना को सख्ती से लागू कराकर सुरक्षित खनन को सुनिश्चित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 106(2)(बी) के अन्तर्गत खानों में भारी मशीनों का उपयोग या डीप होल ब्लास्टिंग करने से पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) जी हां। धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 106(2)(बी) के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी अनुमति की शर्तों की पालना के पश्चात् ही भारी मशीनों का उपयोग या डीप होल ब्लास्टिंग कर खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) खानों में बिना खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति के भारी मशीनों का उपयोग या डीप होल ब्लास्टिंग करने पर पट्टेधारी के विरुद्ध खान

(राज्य मंत्री, खान)

सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। गत 6 माह में विनियम 106(2)(बी) के उल्लंघन के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा 36 पट्टेधारियों को नोटिस जारी किये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) विनियम 106(2)(बी) की पालना नहीं करने पर भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं। गत 6 माह में उक्त विनियम के उल्लंघन के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा 36 पट्टेधारियों को नोटिस जारी किये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(5) विनियम 106(2)(बी) की पालना भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पालना नहीं करने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा पट्टेधारियों को नोटिस जारी किये जाते हैं एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान विभाग को सूचित करने पर खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही

16. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खान अधिनियम 1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम, 1961 के विनियम 34 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के प्रावधानों एवं इनके उल्लंघन करने पर आरोपित शास्ति के प्रावधानों के हिन्दी अनुवाद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम के प्रावधानों के तहत एक बार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति आबंटित होने के बाद खान अधिनियम 1952 के सेक्शन 17 तथा धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 34 का उल्लंघन कर खान पट्टेधारी/खनन अनुज्ञप्तिधारक क्या अपनी खान प्रारम्भ कर खनन गतिविधियां संचालित कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर खान पट्टेधारी/ अनुज्ञप्तिधारक मानव बल या ब्लास्टिंग या भारी मशीनों का उपयोग कर अपनी खान में खनिज का उत्पादन कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दर्शन सिंह)

(4) क्या उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर उत्पादित किये गये खनिज को निर्गमित करने के लिए रवन्ना जारी किया जा सकता है? यदि हां, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खान अधिनियम 1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 34 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 के प्रावधानों की प्रतियां हिन्दी में उपलब्ध नहीं होने से अंग्रेजी में प्रकाशित प्रतियां परिशिष्ट-1 से 3 पर उपलब्ध हैं।

खान अधिनियम 1952 एवं धात्विकीय खान विनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर शिड्यूल-IV के अनुसार शास्ति आरोपित की जाती है। शिड्यूल-IV की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(2) जी नही। खान अधिनियम 1952 एवं धात्विकीय खान विनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) पट्टेधारी स्वयं द्वारा खनिज निर्गमन हेतु आनलाइन ई-रवन्ना जारी की जाती है एवं प्रश्न में वर्णित नियमों का उल्लंघन होने एवं इसकी जानकारी विभाग को नहीं होने पर ई-रवन्ना जारी हो जाती है परन्तु खनन पट्टा निरीक्षण अथवा जानकारी में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार के खान सुरक्षा विभाग द्वारा पट्टेधारी के विरुद्ध खान अधिनियम 1952, धात्विकीय खान विनियम 1961 के तहत अलग से कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अगावली सिलिका सैंड द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही

17. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नरपतसिंह राजवी)

(1) अगावली सिलिका सैंड खान (ग्राम अगावली, तहसील बयाना, जिला भरतपुर) लीज धारक कंपनी के विरुद्ध अब तक नियम विरुद्ध खनन कार्य करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त लीज धारक कंपनी सरकारी नियमों व मानकों की अवहेलना कर सिलिका सैंड का अवैध खनन कर रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कंपनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या लीज धारक कंपनी द्वारा गांव के पास बने पोखर के पानी को प्लांट हेतु काम में लिया जा रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लीज धारक कंपनी द्वारा खान में ड्रिलिंग व सिलिका सैंड के परिवहन के समय नियमानुसार स्प्रिंग्लर अथवा वाटर स्प्रे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कंपनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या लीज धारक कंपनी के मालिक द्वारा गांव के श्मशान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर क्रेशर संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक किसके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्या बिना राजस्व विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रेशर संचालित किया जा सकता है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि खनन पट्टा 2/93 सिवालिका सिलिका में संचालित स्टोन क्रेशर को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व विभाग बयाना से अनापत्ति ली गयी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? स्टोन क्रेशर के लिए जारी की गयी कन्सर्न टू आपरेट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम अगावली तहसील बयाना जिला भरतपुर में शिवालिक सिलिका के नाम स्वीकृत खनन पट्टे में दिसम्बर, 2016 से अब तक पट्टेधारी के विरुद्ध कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच करने पर पाया कि पट्टाधारी नियमानुसार अपने स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहा है तथा पट्टाधारी द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, खान)

प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-**1** पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। पट्टाधारी नियमानुसार अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहा है, उसके द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पट्टेधारी द्वारा ड्रिलिंग एवं सिलिका सैण्ड के परिवहन के समय नियमानुसार वाटर स्प्रिंग्लर का प्रयोग किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। पट्टेधारी द्वारा अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई क्रेशर प्लान्ट स्थापित नहीं कर रखा है अपितु प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित किया हुआ है। खनन पट्टा क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए राजस्व विभाग, बयाना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही होती है। प्रोसेसिंग प्लांट हेतु राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कन्सेन्ट टू आपरेट जारी की हुई है।

(6) जी नहीं। पट्टेधारी ने खनन पट्टा क्षेत्र में स्टोन क्रेशर प्लांट स्थापित नहीं कर रखा है अपितु प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया हुआ है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची में राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान नहीं है। प्रोसेसिंग प्लांट हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कन्सेन्ट टू आपरेट जारी की हुई है। प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रूपवास-बयाना में क्रियाशील खान पट्टे

18. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रूपवास-बयाना क्षेत्र में कुल कितने खनन पट्टे क्रियाशील हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज की कन्सर्न टू आपरेट के अनुसार कुल कितना खनिज एक वर्ष में डिस्पेच किया जा सकता है? इनमें से कौनसा खनन पट्टा चालू है एवं कौनसा बंद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा रायल्टी संग्रहण ठेका उक्त खनन क्षेत्र में कन्सर्न टू आपरेट के मानदंडों को पूरा करके दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रतापसिंह)

(4) क्या उक्त क्षेत्र के रायल्टी संग्रहण के ठेकेदारों के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त क्षेत्र के खनन अधिकारी द्वारा रीको क्षेत्र में लगी गेंगसा एवं क्रेशर मशीनों द्वारा डिस्पेच का मिलान जीएसटी बिलों से किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रूपवास-बयाना क्षेत्र में 130 खनन पट्टे प्रभावशील है, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पट्टेधारियों ने जितनी मात्रा का कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त कर रखा है, उसका विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित किया हुआ है। प्रभावशील 130 खनन पट्टों में से 67 खनन पट्टे चालू हैं एवं 63 खनन पट्टे बन्द हैं। विवरण परिशिष्ट -1 में अंकित किया हुआ है।

(3) सरकार द्वारा रायल्टी संग्रहण ठेका राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 38 के तहत रिजर्व प्राइस निर्धारित कर दिया गया है। नियम 38 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) उक्त क्षेत्र के रॉयल्टी संग्रहण ठेकेदार के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच करने पर पाया गया कि रायल्टी संग्रहण ठेकेदार द्वारा ठेका नियमानुसार नाके स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। रीको क्षेत्र में लगी गेंगसा एवं क्रेशर मशीनों द्वारा डिस्पेच किये गये खनिज का मिलान जी.एस.टी. बिलों से खनिज विभाग द्वारा नहीं किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज के निर्गमन होते ही रायल्टी देय हो जाती है। अत: विभाग द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर वाहनों की जांच की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति

19. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माण/विकास कार्यों हेतु ट्रस्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर अब तक कितनी स्वीकृतियां प्रशासनिक स्तर पर स्वीकार की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद कितने प्रकरणों में तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने से वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकी हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद नियमानुसार कार्यवाही कर अन्तिम रूप से वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में अब तक 463 निर्माण/विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है। उक्त 463 निर्माण/विकास कार्यों में से 9 निर्माण/विकास कार्य विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट ए-1 पर उपलब्ध है।

(2) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में 210 प्रकरणों में तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। शाहपुरा-बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 106 प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने से वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकी हैं। विवरण परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियां सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति व विस्तृत तखमीना प्रस्तुत करने पर ही जारी की जा सकती है, शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 138 प्रकरणों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-डी पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा मिनरल डवलपमेंट फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां

20. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा मिनरल डवलपमेंट फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग कौंसिल के द्वारा अब तक कितने विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं और क्या प्रत्येक स्वीकृति के लिए कार्यकारी एजेंसी भी निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो निर्माण कार्य का नाम, उस पर होने वाले संभावित व्यय और निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि व उसकी कार्यकारी एजेंसी का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गवर्निंग कौंसिल की बैठक में स्वीकृति के पूर्व भी भीलवाड़ा मिनरल डवलपमेंट फाउण्डेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी द्वारा स्वीकृतियां जारी की गयी थीं और बाद में गवर्निंग कौंसिल से भी स्वीकृत कराया गया है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर ही विकास कार्यों का निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता है? यदि हां, तो अब तक प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद कितनी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और कितने प्रकरणों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउन्सिल द्वारा अब तक 3151 विकास कार्यो की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। जी हां, प्रत्येक स्वीकृति के लिए कार्यकारी एजेन्सी निर्धारित की गयी है। गवर्निंग काउन्सिल द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची जिसमें कार्य का नाम, सम्भावित व्यय एवं कार्यकारी एजेन्सी का नाम अंकित है, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। कार्य पूर्ण होने की तिथि का निर्धारण संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर किया जाता है। गवर्निंग काउन्सिल द्वारा अब तक स्वीकृत किये गये 3151 विकास कार्यों में से 1011 विकास कार्यो में कार्यादेश जारी होने से कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित की गई है, विवरण परिशिष्ट-1(A) पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में स्वीकृति के पूर्व भी

(राज्य मंत्री, खान)

भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी द्वारा 158 विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई, विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त समस्त विकास कार्यों की स्वीकृतियां राज्य के कई जिलों में गवर्निंग काउन्सिल की बैठक न हो पाने के कारण मैनेजिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किए गए विभिन्न लाभकारी एवं बहुजन हितार्थ परियोजनाओं के प्रस्तावों का समय पर क्रियान्वयन नहीं होने, खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास कार्य बाधित होने तथा ट्रस्ट फण्ड में एकत्रित राशि का समय पर समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.08.2017 से प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में जारी की गई, जिनकी कार्योत्तर स्वीकृति गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 27.11.2017 में प्राप्त की गयी।

(3) जी हां। प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर ही संबंधित कार्यकारी एजेन्सी कार्यादेश जारी करता है, तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है। गवर्निंग काउन्सिल द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदित 3151 विकास कार्यों में से 111 विकास कार्य निरस्त किये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात 1692 विकास कार्यो में तकनीकी स्वीकृति जारी हुई, उनमें वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है, विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। शेष बचे विकास कार्यों में से 734 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने से अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है। 614 विकास कार्यो में तकनिकी स्वीकृति संबंधित कार्यकारी एजेन्सीयों से प्राप्त नहीं हुई है, विवरण परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री गंगानगर के किसानों की सिंचाई समस्या समस्याओं निराकरण का अभाव

महोदय,

निवेदन है कि श्री गंगानगर के IGNP नहर के किसानों की फसल पानी के बिना बर्बाद हो रही है। सरकार किसानों के लिए पानी का प्रबन्ध करने में नाकामयाब रही है। दिनांक 30-08-18 तक पोंग डैम में 1370.63 फीट पानी है। आवक 21855 क्यूसेक व निकासी 10511 क्यूसेक होने पर IGNP में 4/1 समूह में पानी दिये जाने से सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखा की फसलें बरबाद हो रही हैं। पिछले वर्ष पोंग डैम में 1380.84 फीट पानी था. आवक 11684 क्यूसेक एवं निकासी 9006 क्यूसेक होने पर हमें 4/2 समुह में पानी मिल रहा था। मैने 06 अगस्त, 2018 को चीफ हनुमानगढ़ की मीटिंग में 3/1 समूह को तोड़कर बनाये गये 4/1 समूह का भारी विरोध किया था लेकिन मेरी मांग को अनदेखा करने तथा रेगुलेशन में लगातार उतार-चढ़ाव से आईजीएनपी नहर सहित अन्य नहरों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारियां पिटने से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। आईजीएनपी नहर की पंजाब में खस्ता हालत है। हरिके बैराज से पानी पाकिस्तान जा रहा है। BBMB की मीटिंग में 15-9-2018 तक पानी का शेयर तय हुआ है जबकि पानी का रेगुलेशन 02-10-18 तक सिंचाई विभाग ने जारी किया है। सिंचाई विभाग ने 7-9-2018 से 1GNP में 3/1 समूह में पानी देने का रेगुलेशन जारी कर दिया है, जो किसानों के हित में नहीं है।

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम-295 के तहत निवेदन करती हूं कि गंगानगर के किसानों की सिंचाई से संबंधित ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाये।

सोना देवी
(रायसिंहनगर)

चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची में अनियमितताएं

महोदय,

मैं चिकित्सा विभाग द्वारा 6 जुलाई व 21 अगस्त, 2018 को जारी की गई वरिष्ठता सूची में की गई अनियमितताओं की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 1990 में डाक्टर्स की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी उक्त वरिष्ठता सूची में 6 जुलाई व 21 अगस्त, 2018 को जारी की गयी उसमें अनेक चिकित्सकों की न केवल वरिष्ठता बदल कर जूनियर को सीनियर बता दिया गया, बल्कि अनेक चिकत्सकों की जन्म तिथि भी बार-बार गलत अंकित की गयी है।

उदाहरण के तौर पर डा. के के मंगल प्रधान विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जरी, जो राज्य सेवा के वरिष्ठतम् प्लास्टिक सर्जन है, गणतन्त्र दिवस 2016 के राजकीय समारोह में राज्यपाल महोदय द्वारा स्टेट मेरिट अवार्ड प्रदान किये गये हैं, उनकी पदोन्नति के संबंध में जारी किये गये विभागीय आदेश दिनांक 2.6.2013 में उनका पदनाम, पे-स्केल, जन्म तिथि, पदोन्नति तिथि गलत अंकित की गयी ।

विभाग द्वारा वर्ष 2015 में डा. मंगल का प्रमोशन दिनांक 20.1.2012 से लागू करने के आदेश जारी करने के बाद सन् 2017 व 2018 में जारी वरिष्ठता सूचियों में 1.4.12 लिखा जा रहा है। अर्थात् डा. मंगल को वरिष्ठता सूची में 2011-12 की जगह 2012-13 में एक वर्ष पीछे कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे वरिष्ठता सूची में काफी नीचे आ गये ।

वर्ष 2016 में विभाग द्वारा चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची के आदेश जारी किये गये उसमें भी डा. के के मंगल का नाम वरिष्ठता सूची में से गायब कर दिया गया जिसके संबंध में उन्होंने तत्समय विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। यही नहीं विभाग द्वारा वर्ष 2017 में जारी वरिष्ठता सूची में भी डा. मंगल की जन्म तिथि तथा पदोन्नति तिथि गलत अंकित की गयी। उसके उपरांत वर्ष 2018 में विभाग द्वारा 4 वरिष्ठता सूचियां जारी की गयीं उन सभी आदेशों में डा. मंगल की पदोन्नति तिथि और उसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता में उन्हें कनिष्ठ करते हुए उनसे जूनियर को ऊपर दर्शाया गया ।

अत: मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग द्वारा समय समय पर जारी वरिष्ठता सूची में डा. के के मंगल सहित जिन चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता प्रभावित की गई उनकी जन्म तिथि गलत अंकित की गयी की नियमानुसार जांच करवाई जाकर वर्ष 1990 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करते हुए पुन: नई वरिष्ठता सूची जारी की जाए तथा उसमें पदोन्नति गलत अंकित की गयी है उसे भी दुरुस्त करवाने की कार्यवाही कराने का श्रम करें।

सुरेन्द्र पारीक
(हवामहल)

राजसमंद के निजरना गांव में खान आवंटन में अनियमितता

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मै आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान खान विभाग में बेशकीमती खान के आबंटन में हुई अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

महोदय राजसमन्द जिले के निजरना गांव में खनिज मार्बल के बेशकीमती भण्डार हैं। यहां पूर्व में सेकसरिया माइन्स व मार्बल्स के नाम से खानें थीं। राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार समाप्त करने हेतु यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति संस्था 5 हेक्टर से ज्यादा की क्षेत्र अपने पास नहीं रख सकता । तब सेकसरिया माइन्स एवं मार्बल्स ने अधिक क्षेत्र समर्पण कर दिया लकिन समर्पित क्षेत्र को इस कम्पनी के एक भागीदार श्री बी.एस. सेकसरिया की पत्नि श्रीमती चन्दा देवी के नाम से आबंटित कर दिया। क्योंकि सेकसरिया माइन्स व मार्बल्स के नाम से विभाग की काफी बड़ी राशि बकाया थी और नियमानुसार फर्म के भागीदार भी उनकी पत्नी के नाम से खान का आबंटन नहीं हो सकता था। इसलिए यह आवेदन श्रीमती चन्दादेवी अग्रवाल के नाम से किया गया और आश्चर्यजनक रूप से विभाग की बकाया राशि होने के उपरान्त भी श्रीमती चन्दादेवी अग्रवाल को खान का आबंटन कर दिया गया। तथ्य यह है कि श्रीमती चन्दादेवी को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड व इन्कम टैक्स रिकार्ड भी श्रीमती चन्दादेवी सेक्सरिया के नाम से ही है और श्रीमती चन्दादेवी अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था अतः यह खनन पट्टा बेनामी खनन पट्टे की श्रेणी में ही आने के कारण निरस्त करने योग्य है। इतनी अनियमितताओं के पश्चात भी हाल ही में यह खनन पट्टा चन्दा देवी के पति श्री बी.एस. सेकसरिया के नाम से स्थानान्तरित कर दिया गया है। जो कि बड़े षड्यंत्र का आभास देता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर इस खनन पट्टे को निरस्त किया जाय तथा इसमें लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

सूर्यकान्ता व्यास
(सूरसागर)

कोलायत में "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के तहत विद्युतीकरण का कार्य

कोलायत विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों से "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के तहत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इस योजना के

तहत कोलायत क्षेत्र के बज्जू व कोलायत सहायक अभियंता कार्यालय में हजारों लोगों के द्वारा ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा करवाए जाने के बावजूद विभाग की उदासीनता के चलते घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं किए जा रहे है, कोलायत क्षेत्र में विभागीय ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के द्वारा कहीं खंभे खड़े कर दिए तथा तार नहीं खींचे जा रहे हैं, वहीं ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाए जा रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

अत: सदन के माध्यम से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में मांग पत्र जमा करवाने वाले किसानों, मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के लम्बित आवेदकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन तत्काल दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत दिए जाएं व क्षेत्र में इस योजना के तहत अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

(भंवर सिंह)
(कोलायत)

जहाजपुर में स्वीकृत महाविद्यालय को शुरू कराने एवं कोटड़ी में महाविद्यालय की स्थापना

मान्यवर,

भीलवाड़ा जिले के सर्वाधिक पिछड़े एवं आदिवासी बहुल जहाजपुर तहसील जो कि स्वयं 40 किमी की परिधि में फैला हुआ है। एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किया गया तथा प्राचार्य को नियुक्ति दी तथा अन्य स्टाफ बाबत भी स्वीकृतियां जारी हुयीं किन्तु जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र से भाजपा की चुनाव में हार होने के कारण राजनैतिक द्वेषतावश उक्त स्वीकृत महाविद्यालय को मंत्रीमण्डलीय समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के नाम पर विगत 4 वर्षों से रोक रखा है। मौजूदा सरकार अब तक भी इस विषय पर समीक्षा नहीं कर पायी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अनेक महाविद्यालय खोले है। किन्तु भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 90 किमी दूर जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर जहां के बच्चे 40-40, 50-50 किमी दूर तक चलकर अध्ययन हेतु जाने को विवश है। अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होकर आवागमन के साधनों का नितान्त अभाव है। किन्तु सरकार ने अब तक जहाजपुर के स्वीकृत कालेज को अब तक चालू नहीं किया है।

इसी प्रकार से कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर भी कोई भी राजकीय एवं निजी महाविद्यालय नहीं है। इसके चलते छात्र एवं अभिभावक सदैव मानसिक तनाव में रहते हैं तथा अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम सरकार से अनुरोध है कि उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को तत्काल प्रारम्भ कराया जावे तथा उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर भी राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करावें।

धीरज गुर्जर
(जहाजपुर)

बानसूर नगरपालिका की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विस्तृत क्षेत्र है। बानसूर कस्बा ग्राम पंचायत है। जबकि यहां कृषि मण्डी भी है एवं व्यापारी वर्ग ज्यादा निवास करता है एवं बानसूर ग्राम पंचायत नगरपालिका बनाने के सभी नियम पूर्ण कर रहा है।

अतः क्या बानसूर में कांग्रेस की विधायक है, इसलिए आप बानसूर को नगरपालिका नहीं बनाना चाहते जबकि सरकार के लिये पूरे राजस्थान को एक नजर से देखकर बानसूर ग्राम पंचायत को तुरन्त नगरपालिका बनाने का कष्ट करें, जिससे कि बानसूर कस्बे वासियों को सुविधाएं मिल सकें वहां के व्यापारियों को लाभ मिल सके।

शकुन्तला रावत
(बानसूर)

खेतड़ी के ग्रामों में उचित स्थान पर पीएसपी पाइंट नहीं होने की समस्या

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत पानी सप्लाई हेतु पीएसपी पाइंट उचित स्थान पर नहीं बनाये गये। पीएसपी पाइंट बनाते समय निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राम मेहाड़ा जाटूवास, पपूरना, बटीयाला (गाडराटा), जसरापुर, ढाणी चाचावाली, ढाणी जालपाला, ढाणी जाख कालोटा, बेसरडा में ढाणी श्यामावाली, ढाणी श्यामला, ग्राम मोडी, कालोटा, संजयनगर, तातीजा, रामकुवारपुरा में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीएसपी पाइंट का निर्माण करवाया जाकर जनता को राहत प्रदान करायी जाए।

पूरण मल सैनी
(खेतड़ी)

रॉ-मैटेरियल (खनिज सम्पदा) राजस्थान से बाहर जाने पर रोक

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान में जिला अजमेर, राजसमन्द एवं पाली से रॉ-मैटेरियल (खनिज सम्पदा) राजस्थान से बाहर गुजरात में भेजी जा रहा है। जिससे राजस्थान में लगे उद्योग-धन्धे बन्द होने के कगार पर खड़े हो गये हैं, विशेषकर ब्यावर, नसीराबाद, भीम एवं राजसमन्द इत्यादि स्थानों के।

ब्यावर में लगे मिनरल प्लान्टों से सारा कच्चा माल गुजरात में सप्लाई होने से राजस्थान का खनिज उद्योग चौपट हो रहा है। स्थानीय स्तर पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं एवं भारी राजस्व की हानि हो रही है।

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम-295 के तहत निवेदन करता हूं कि जिला अजमेर, राजसमन्द एवं पाली के रॉ-मैटेरियल के राज्य से बाहर ले जाने पर आज की तारीख में ही रोक लगाई जाए एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ऐसी पालिसी तैयार की जाए।

शंकरसिंह रावत
(ब्यावर)